जनपद सुलतानपुर–एक नजर में

जनपद सुलतानपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आता है, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 140 किमी0 की दूरी पर स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर से फैजाबाद, उत्तर–पूर्व में अम्बेडकरनगर, पूर्व में आजमगढ़, पूर्व–दक्षिण में जौनपुर, दक्षिण में प्रतापगढ़ और दक्षिण–पश्चिम में अमेठी को स्पर्श करती है। पूर्व में इस जिले का नाम कुशभवनपुर था जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुशभवनपुर से बदलकर सुलतानपुर कर दिया। यह जनपद गोमती नदी के दोनों तट पर बसा है। सुलतानपुर शह पूर्व में गोमती नदी के बायीं ओर स्थित था किन्तु सन् 1857 के स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ब्रिटीश सेनाओं ने नष्ट कर दिया बाद में यह शहर फिर से आबाद होने लगा और गोमती नदी के दाहिनी और बढ़ने लगा। सुलतानपुर जिला गोमती नदी के उत्तर में $25^{0}59$ तथा $26^{0}40$ आक्षांश और पूरब में $81^{0}31$ तथा $82^{0}41$ देशान्तर पर स्थित है। जनपद सुलतानपुर में 05 तहसीलों (तहसील सदर, कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, वल्दीराय) का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 26636 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल में कृषि कार्य किया जाता है तथा आकृषिक क्षेत्रफल 89526 हेक्टेयर है। कृषिक क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल कुल 146485 हे0 है तथा जनपद का असिंचित क्षेत्रफल 30355 हे0 है। जनपद में 05 तहसीलें, 14 विकास खण्ड, 114 न्याय पंचायतें, 805 ग्राम पंचायतें एवं 17 थाने है तथा 01 लोकसभा क्षेत्र, 05 विधान सभा क्षेत्र है। जनपद में कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 12 निरीक्षण गृह है। जनपद में कुल 1713 आबाद ग्राम, 28 गैर चिरागी गांव भी है। सामान्यतः खरीफ तथा रबी में 267941 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि कार्य किया जाता है। जनपद में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।

जनपद सुलतानपुर का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 266366 हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 176840 हेक्टेयर है। रबी में बोया गया क्षेत्रफल 124110 हेक्टेयर, खरीफ में 111431 हेक्टेयर जायद में 15081 हेक्टेयर है। जनपद में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 146485 हेक्टेयर है। जिसमें नहरों द्वारा सिंचित 37023 राजकीय नलकूपों द्वारा 4993, व्यक्तिगत नलकूपों द्वारा 104396 एवं अन्य स्त्रोतों द्वारा 73 हेक्टेयर है। सिंचाई संसाधनों में नहरों की लम्बाई 1134 कि0मी0, राजकीय नलकूपों की संख्या 438, निजी नलकूपों की संख्या व, बोरिंग पर लगे पम्पसेट की संख्या 81415 है, तथा 300 पक्के कुएं हैं।

जनपद में वर्षा का औसतन 1000.2 मि0मी0 है। मौसम परिवर्तन के साथ यहां का तापमान बदलता भी रहता हे। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार यहां का औसतन उच्चतम तापमान 47^{0} सेल्सियस तथा न्यूनतम 2^{0} सेल्सियस तक पहुंचा है। दक्षिण–पश्चिम मानसून के प्रभाव से जाड़ों में यदा–कदा आसमान में घने बादल छा जाते हे लेकिन अन्य मौसमों में सामान्यतः आसमान साफ रहा करता है। भूकम्प

मानचित्र में जनपद जोन तीन के अन्तर्गत आता है। यहां पर मुख्य रूप से चार मौसम होते है। नवम्बर मध्य से लेकर फरवरी तक जाड़े का मौसम, मार्च से जून मध्य तक गर्मी, दक्षिण–पश्चिम मानसून का आगमन जून के अन्त तक होता है जबकि यह सितम्बर तक रहता है, अक्टूबर से नवम्बर मध्य से बीच उत्तर मानसून का मौसम होता है। गर्मी के मौसम में काफी गर्मी पड़ती है जबकि जाड़ों में बहुत सर्दी न पड़ने के कारण मौसम सुहावना रहा करता है। दक्षिण–पश्चिम मानसून आने के समय यहां की आर्द्रता बढ़ जाती है तथा 75–85 प्रतिशत के बीच हो जाती है। गर्मियों में आर्द्रता 30 प्रतिशत या इसके भी नीचे जा पहुंचती है। सुलतानपुर का वायु वेग गर्मियों तथा बरसात में बढ़ जाता है तथा बरसात के बाद यह सुस्त पड़ने लगता है।

गोमती नदी सुलतानपुर की प्रमुख नदी है। जिले की जमीन का सामान्य ढ़ाल उत्तर–पश्चिम की ओर से दक्षिण–पूर्व की ओर है। गोमती नदी को आदि गंगा भी कहा जाता है। जिला परिषद की रिकॉर्ड के अनुसार सुलतानुपर में गोमती नदी के किनारे कुल 27 घाट है। सुलतानपुर जिले में शत–प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा हिन्दी भाषा बोली और समझी जाती है। सामान्य तौर पर पूरे जनपद में और विशेष तौर पर ग्रामीण अंचल में अवधी, जनता के बोलचाल की भाषा है। यहां पर मुख्य रूप से हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायी रहते है। हिन्दुओं की लगभग सभी आम जातियां यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ वैश्य, तथा अनुसूचित जातियों के लोग रहते है। मुसलमानों में भी सिया तथा सुन्नी दोनों ही समुदाय के लोग रहते है। जनपद सुलतानपुर के निवासियों का मुख्य रूप से जीविकोपार्जन कृषि है, यहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। रवी की मुख्य फसल गेहूं तथा खरीफ की मुख्य फसल धान है। उद्योग धन्धों की संख्या नगण्य होने के कारण आर्थिक दृष्टि से जिले की गणना पिछड़े जिलों में होती है।

वर्ष 2011 में सम्पन्न जनगणना के अनन्तिम आंकड़े के अनुसार जनपद की स्थिति निम्न प्रकार है–

जनसंख्या

	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
ग्रामीण	2286998	1154293	1132698	07
नगरीय	138805	72550	66255	—
योग	2425803	2381136	1198953	07

साक्षरता

	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
ग्रामीण	1309144	1154293	1132698	07
नगरीय	455548	72550	66255	—
योग	1764692	2381136	1198953	07

जनपद एक दृष्टि में

क्र0	विषय	संख्या
1	जनपद में तहसीलों की संख्या	05
2	जनपद मे कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	1741
3	आबाद ग्राम	1713
4	गैर आबाद ग्राम	28
5	चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम	21
6	जनपद का कुल क्षेत्रफल	266366 हे0
7	कृषिक क्षेत्रफल	176840 हे0
8	अकृषिक क्षेत्रफल	895226ा हे0
9	सिंचित क्षेत्रफल	146585 हे0
10	असिंचित क्षेत्रफल	30355 हे0
11	जनपद की वार्षिक मालगुजारी	1800941(लाख रू0 में)
12	जनपद की कुल जनसंख्या(वर्ष 2011 के अनुसार)	2425803
13	ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या(वर्ष 2011 के अनुसार)	2286998
14	नगर क्षेत्र जनसंख्या(वर्ष 2011 के अनुसार)	138805
15	परगनों की संख्या	05
16	विकास खण्डों की संख्या	14
17	न्याय पंचायतों की संख्या	114
18	ग्राम सभाओं की संख्या	805
19	थानों की संख्या	17
20	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	59
21	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	12
22	नगर पालिका परिषद	01
23	नगर क्षेत्र पंचायत	03
24	निरीक्षण गृह	12
25	नायब तहसीलदारों की संख्या	10
26	राजस्व निरीक्षक के क्षेत्रों की संख्या	23
27	लेखपाल क्षेत्रों की संख्या	501
28	संग्रह अमीनों की संख्या	115
29	रेलवे लाइन की लम्बाई	105 किमी0
30	रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित)	11
31	नहर टेलों की संख्या	196
32	नहर की लम्बाई	1134 किमी
33	राजकीय नलकूपों की संख्या	447
34	मुख्य सडकें	08
35	राजकीय इण्टर कालेज	04
36	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1557

37	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	676
38	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	219
39	महाविद्यालयों की संख्या	33
40	स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या	10
41	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	25
42	पशु चिकित्सालय	29
43	पशु सेवा केन्द्र	44
44	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	74
45	आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या	24
46	यूनानी चिकित्सालयों की संख्या	04
47	एलोपैथिक चिकित्सा केन्द्र	59
48	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	33
49	परिवार एवं मातृ शिशु उप कल्याण केन्द्र	212
50	क्षयरोग चिकित्सालय	01
51	कुष्ठ चिकित्सालय	01
52	पक्के कुओं की संख्या	300
53	तालाबों की संख्या	10930
54	विद्युत उपाकेन्द्र	20
55	कृषि बीज भण्डार	13
56	सिनेमा गृह	01
57	तापमान उच्चतम	47 डि0से0
58	तापमान न्यूनतम	3.3 डि0से0
59	जनपद की औसत वर्षा	1000.2 मिमी0
60	सस्ते गल्ले की दूकान (ग्रामीण)	876
61	सस्ते गल्ले की दूकान (नगरीय)	61
62	शीत भण्डार	03
63	बायो गैस संयंत्र	5249

अध्याय–1

परिचय (Introduction)

जिला आपदा प्रबन्ध योजना

सामान्य तौर पर आपदा का तात्पर्य किसी ऐसी दुर्घटना से लगाया जाता है। जिसका सामना करने के लिए कोई व्यक्ति का समुह अपने आप में तैयार एवं समर्थ न हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबघन अधिनियम .2005 मे आपदा को दैवी मानवजनित किसी लापरवाही से हुई ऐसी बडी दुर्घटना के रुप मे परिभाषित किया जाता है। जिसमे ब्यापक जन घन की हानि पर्यावरण की क्षति राष्ट्रीय अहित शामिल है। परम्परागत रुप से दैवी आपदाओ मे बाढ सूखा अग्निकाण्ड आकाशिल बिजली ओलावृष्टि व भूकम्प आदि आते है जिसमे पिडितो को राहत सहायता उपलब्ध कराना राज्यो का मुख्य कार्य होता है। इसके अतिरिक्त अनेक मानवजनित दुर्घटनाएं इस प्रकार हो सकती है। जिसका असर दैवी आपदाओं के बराबर या उससे अधिक हो जाता है। इस कारण आपदा की वर्तमान अवघारण में दैवी आपदाओ के साथ साथ मानवजनित कारणो को भी शामिल किया गया है। आपदा प्रबन्धक के दौरान आपदा पूर्व की तैयारी एवं पुर्नवास का राष्ट्रीय नेटवर्क राहत वितरण के साथ ही शामिल किया गया है। वर्तमान में आपदा प्रबन्घन का उददेश्य इसी तरह की घटनाओ को यथासम्भव रोकना आपदा के प्रभाव को कम करना व लोगो को आवश्यक मद पहुंचाकर उन्हे आपदा से उबारना होता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धक अधिनियम .2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्रधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य प्रबन्ध प्रधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबन्ध प्रधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबन्ध प्रधिकरण का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला प्रधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबन्ध प्रधिकरण के गठन का उददेश्य राष्ट्रीय राज्य पर बनायी गयी नीतियो को अनुपालन अनुश्रवण व जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं पंचायतीराज

संस्थाओं में बेहतर तालमेन स्थपित करना है ताकि किसी आपदा की दशा में त्वरित कार्यवाही तथा राहत एवं पुर्नवास कार्ये का बेहतर संचालन करन संम्मव हो सके।

जिला आपदा प्रबन्ध प्रधिकरण के अघ्यक्ष पदेन जिलाधिकारी सहित कुल सदस्य है।

कमांक		**पदेन**
1	जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त	अघ्यक्ष
2	जिला पंचायत अघ्यक्ष	सहअघ्यक्ष
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
5	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	सदस्य
6	अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0(प्रान्तीय खण्ड)	सदस्य
7	अधिशाषी अभियतन्ता सिंचाई शा0सहा0खण्ड .16	सदस्य

जनपद सुल्तानपुर में बाढ सूखा अग्निकाण्ड से प्रतिवर्ष ब्यापक नुकसान होता है। अग्निकाण्ड की घटनाएं प्रायः फरवरी से जून तक के महीने में होती है। वर्ष 2012 .2013 में सर्वाधिक घटनाएं अग्निकाण्ड से हुई थी। जिसमे 05 मनुष्य एवं 96 पशुओ की मृत्यु हुई थी। तथा 1486 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। अम्निकाण्ड से प्रभावित ब्याक्तियो को 61.75 रुपया राहत सहायता वितरित किया गया था।

2 भुकम्प एवं साइक्लोन (चक्रवात)

भुकम्प का कोई इतिहास इस जनपद का नही रहा है। भुकम्प की दृष्टि से जनपद सुल्तानपुर जोन 3 में आता है। जो मघ्यम दर्जे की खतरनाक स्थित है किन्तु जनपद जोन 4 के आंशिक जोन 4 के आंशिक नजदीक है। जिसमे भूकम्प की दृष्टि जिले की संवेदनशीलता बढ जाती है। साइक्लोन (चक्रवात) की दृष्टि से जनपद में कोई विशेष संवेदनशीलता नही पायी है।

3 सूखा

अनवृष्टि के कारण वर्ष 2009 10 जनपद सुखाग्रस्त घोषित हुआ है। सूखे से खरीफ की फसल को आंशिक क्षति पहुंचने का इतिहास जनपद का रहा है। सूखे के कारण अब तक ऐसी स्थित नही आयी है। जिसमे किसी गांव की आबादी या पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाना पडा हो अथवा टैकर से जलपूर्ति करनी पडी हो। भूखमरी की स्थित भी अब तक नही पैदा हुई है।

4 बाढ़ (आकाशीय विघुत)

गोमती नदी तहसील सदर के मघ्य भाग से निकलती हुयी तहसील लम्भुआ व कादीपुर के बाद जनपद जौनपुर की सीमा मे सीमा मे प्रवेश करती है। जनपद में वर्ष 1955 एवं 1971 में पूर्ण रुप से बाढ आयी थी।

जिसके अत्याधिक दबाव एवं फैलाव के कारण घन जन एवं फसल के काफी आबादी भी प्रभावित हुई थी। वर्ष 1985 व 2008 में आंशिक रुप से बाढ आयी थी जिसमे नदी के किनारे के फसल एवं आंशिक आबादी प्रभावित हुई थी।

5 ओलावृष्टि एवं शीतलहरी

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी सें यदा ओलावृष्टि एवं शीतलहरी से यदा कदा घन एवं हानि होती रही ह। आंघी तूफान से भी जन घन की हानि हुई है। किन्तु ओलावृष्टि शीतलहरी आंधी तूफान से किसी बडी घटना का इतिहास इस जनपद का जनपद नही है।

6 चिकित्सीय आपदा

शिक्षा व अ़ज्ञानता के अभाव में ग्रामीण अंचल के लोग विषैली जानवरों जैसे–सांप, बिच्छू आदि के काट लेने पर झाड़–फूंक व मौखिक मानसिक बीमारियों में ओझाई आदि के चक्कर में पकड़कर स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं का लाभ नहीं उठाते और अपनी जान तक हाथ से धो बैठते हैं। उन्हें जागरूक करना भी आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत लिया गया है।

7 मानव जनित आपदाओं की आशंका

जनपद सुलतानपुर का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्य योजना में इसे शामिल किया गया है, जिससे किसी प्रकार के सम्भावित खतरे से कुशलतापूर्वक निपटा जा सकें।

अध्याय–2

खतरा, जोखिम क्षमता और जोखिम मूल्यांकन

(Hazard Vulnerability, Capacity and Risk Assessment)

आपदाएं व्यापक पैमानें पर जन–धन को क्षति पहुंचाती है और इसका सीधा असर जिले के विकास कार्यों पर पड़ता है। विकास की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिये विकास के विभिन्न पहलुओं को आपदा–प्रबन्धन से जोड़ना है। ताकि क्षति कम से कम हो अगली क्षति की भरपाई शीघ्रता से हो सके। पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबन्धन पर विशेष बल दिया गया है। इसका उददेश्य विकास योजनाओं से आपदा प्रबन्धन को जोड़ना है।

जिले स्तर पर बाढ़, सूखा, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, निर्माण आदि क्षेत्रों, में गतिमान कई योजनाओं से सम्बद्ध किया जा सकता है। कार्यक्रमों एवं उनसे जुड़े विभागों, अधिकारियों के कुछ उदाहरण निम्नवत है –

नोडल अधिकारी	कार्यक्रम	कार्य कौन करेगा/कब करेगा
कलेक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों के रोजगार कार्यक्रमों, जिला योजना, प्रदूषण–नियंत्रण, निर्माण आदि की निगरानी	विभागीय अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के समय।
मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम जैसे–रोजगार गारण्टी योजना।	सूखा, बाढ़, भूकम्प, की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से रोजगार सृजन।
अधिशाषी अभियन्ता जल निगम	ग्रामीण पेयजल योजना।	सूखा, बाढ, भूकम्प आदि के समय स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अपनी पाइप लाइनों का रख रखाव आदि।

जिला पंचायत राज अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।	1. सफाई/पंचायत कर्मचारियों के माध्यम से स्वच्छता एवं जागरूकता सुनिश्चित कराना।
बेसिक शिक्षा अधिकारी	सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजना आदि अन्य विभागीय योजनाएं।	1. विद्यालयों को भूकम्परोधी कराना। 2. विद्यालयों का रख रखाव इस हिसाब से करना कि उसका उपयोग शरणालय के रूप में भी हो सके। 3. छात्रों एवं शिक्षकों के माध्यम से आपदा प्रबन्धन के प्रति सम्बेदनशीलता एवं जागरूकता पैदा करना।
जिला कृषि अधिकारी	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम।	बाढ़ के समय नष्ट हुई फसलों की भरपाई हेतु देर से बोई जाने वाली प्रजातियों की उपलब्धता एवं जागरूकता। इसी प्रकार सूखे की स्थिति में कम पानी वाली फसलों के बीजों की उपलब्धता एवं जागरूकता।

नोडल अधिकारी	कार्यक्रम	कार्य कौन करेगा/कब करेगा
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	टीकाकरण आदि विभागीय कार्यक्रम।	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का टीकाकरण, घायलों का इलाज एवं मृत पशुओं के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य विभागीय कार्यक्रम।	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण, घायलों का इलाज एवं शवों के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
आवास एवं नगर विकास	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम।	विल्डिंग सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन, भूकम्परोधी भवनों के निर्माण सम्बन्धी विधियों का अनुपालन।
अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड (शा0सहा0खण्ड–16)	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम।	डूब क्षेत्र का पर्यवेक्षण, बांधों का समुचित रख रखाव एवं सुरक्षा।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम/योजनाएं।	सूखे के समय नहरों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनश्चित करना।

संक्षेप में कहा जाय तो अपने विभागीय दिशा निर्देशों के अधीन विकास से सम्बन्धित सभी विभाग अपनी योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वयन में आपदा प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखे तो एक ओर स्थिर विकास की अवधारणा सफल होगी। दूसरी ओर आपदा प्रबन्धन से होने वाली क्षति भी कम होगी।

अध्याय–3

जिलाधिकारी के लिए संस्थागत व्यवस्था

(Institutional arrangements for DM)

इस अध्याय में आपदा की तैयारी के सिलसिले में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है–

1– उपलब्ध संसाधन।

2– समुदाय, आधारित आपदा प्रबन्धन।

3– प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पूर्वाभ्यास।

4– Encident Command System (इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम)

5– आपात कालीन केन्द्र।

1. **उपलब्ध संसाधन :–** जनपद में कुल लगभग 200000 सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों मे कार्यरत है। सिविल पुलिस, होमगार्ड के जवान भी आपदा कार्यों हेतु लगाये जा सकते है। एन0सी0सी0 तथा एन0एस0एस0 के स्वयं सेवकों की सेवायें भी ली जा सकती है।
2. **समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन :–** सामुदायिक योजना बनाने का मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्तियों और समुदाय की असुरक्षा कम की जाय और आपदाओं के दुष्प्रभाव को सहन करने की उनकी क्षमता बढ़ाई जाये। अतः आवश्यक सामुदायिक योजना बनाने में लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। क्योंकि जवाबी कार्यवाही करने में वह सबसे पहले आगे आते है। आपदा की हालत में वह लोग सफल एवं उपयोगी होते है। जिनके पास चिकित्सीय या अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटनें का प्रशिक्षण होता है। आपदा से पहले उसके पश्चात् के कुछ घण्टे लोगों के प्राण बचाने में बाहरी सहायता आने में वक्त लग जाता है। ऐसे हालात में समुदाय के प्रशिक्षित सदस्य जीवन रक्षक सम्पदा के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त खतरे को कम करने की दिशा में समुदाय एक विशेष भूमिका निभाते हैं। समुदाय की शिक्षा और सहयोग के बिना आपदा प्रबन्ध की कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकेगी।

इस बाढ़ प्रबन्ध योजना में समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरूकता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए ग्राम स्तर तक की कार्य योजना बनाने तथा उनके प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास आदि की योजना रखी गयी है।

3. **प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पूर्वाभ्यास :–** इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास के साथ ही ग्राम स्तरीय आपदा योजना बनानी होगी। प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है :–

समग्र प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमः–

स्तर	**मुख्य आयोजक**	**प्रतिभागियों का विवरण**	**कार्यक्रम का विवरण**
जिला	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	जिला स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग।	1.प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम दो भांगों में चलाया जायेगा। प्रथम भाग में आवश्यक
तहसील	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग।	सूचनायें दी जायेगी। द्वितीय भाग में पूर्वाभ्यास (Mock Drill) करके व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
ब्लाक	खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग।	2.सभी स्तरों पर सम्बन्धित अधिकारियों संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों एवं मीडिया के दायित्वों पर भी चर्चा की जायेगी।
ग्राम	लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी	ग्राम स्तरीय अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य आदि।	

4. Encident Command System (इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम)– किसी दुर्धटना की स्थिति में अफरा–तफरी से बचने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु एकीकृत नियंत्रण प्रणाली उपयोगी है। इस प्रणाली के मुख्य नियंत्रक जिला मजिस्ट्रेट हैं। भिन्न आपदाओं की प्रकृति के हिसाब से भिन्न इन्सीडेण्ट कमाण्डर बनाये गये है। मानव जनित आपदाओं जैसे जैव, परमाणु, या रसायन हमले की स्थिति में पुलिस अधीक्षक इन्सीडेण्ट कमाण्डर है। बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि परम्परागत दैवी आपदाओं के लिए अपर जिलाधिकारी/(वि/रा0) इन्सीडेण्ट कमाण्डर हैं।

इन्सीडेण्ट कमाण्डर है।

इन्सीडेण्ट कमाण्डर के मुख्य कार्य

1–आपात स्थिति में संचार की समन्वित व्यवस्था।

2–त्वरित राहत/बचाव एवं खोज को मौके पर भेजना एवं उनको आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।

3–विस्थापन कार्य का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन।

4–उपलब्ध संसाधनों की अपर्याप्तता की दशा में बाहरी सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाना।

5.आपात कालीन केन्द्र :– राजस्व कन्ट्रोल रूम से भिन्न पर्याप्त मानव संसाधन एवं आधुनिक संचार सुविधाओं/उपकरणों से युक्त आपात कालीन केन्द्र कलेक्ट्रेट सुलतानपुर में स्थापित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी इसके प्रभारी होंगे। सामान्य दिनों में यह केन्द्र आपदा के प्रशिक्षण, जनजागरूकता एवं पूर्वाभ्यास से सम्बन्धित कार्य देखेगा तथा सैन्य एवं अर्ध सैनिक बलों से समन्वय रखेगा। यह केन्द्र केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग आदि से प्राप्त पूर्व चेतावनियों का अभिलेखीय करण करेगा तथा सर्व सम्बन्धित को सूचित भी करेगा। शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्टो को संकलित एवं तैयार करने का कार्य भी करेगा।

अध्याय–4

रोकथाम एवं शमन उपाय
(Prevention and mitigation measures)

अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ/जहरीली गैसे, द्रव या ठोस रूप में भयानक आपदाएं पैदा कर सकती है, जो मनुष्यों, पशुओं, फसलों आदि के लिए खतरनाक हो सकती है। इनमें से अधिकांश जलन, आन्तरिक अथवा वाहय चोट अथवा अपगंता पैदा कर सकते हे। हवा के माध्यम से फैलकर ये आंख, फेफड़ा, चमड़ी आदि पर घातक असर डालते है। संक्रमित खाद्य पदार्थो के सेवन से पाचन क्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। भूमि, जल एवं वायु पर भी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इनकी गम्भीरता रसायन के प्रकार एवं मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार की आपदाएं दुर्धटनावश भी हो सकती है, और आसान उपलब्धता के कारण आतंकवादी भी इसका दुरूपयोग कर सकते है।

इस प्रकार के रसायनों का वर्गीकरण, उपयोग एवं विष की श्रेणी के आधार पर किया गया है–

1. उपयोग के आधार कुछ रसायन केवल सैन्य उपयोग के लिए है, इन्हें केमिकल वारफेयर CW कह जाता है। Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD), VX : Sulfur Mustar (HD), Lewisite (L), Hydrogen Cyanide (AC), Chlorine आदि इसके उदाहरण है।
2. दोहरे उपयोग वाले कुछ रसायनों का प्रयोग सैन्य तथा औद्योगिक इकाइयां में किया है। Chloroethanol, Ammonium Bifluoride, Arsenci Trichloride, Benzilic Acid आदि इसके उदाहरण है।
3. कई औद्योगिक रसायन भी जहरीले होते है। Ammonia, Arsine, Chlorine, Sulfur, Dioxide, Hydrogen Bromide आदि इसके उदाहरण है।
4. कीटनाशकों (Pesticide) जैसे कुछ रसायनों का उपयोग कृषि कार्यों में भी होता है। सीधे फसलों को क्षति पहुंचाते है।

सुलतानपुर में कोई इतिहास आतंकवादी घटना का नहीं है। भविष्य में पेट्रोल, टैंकर, एल0पी0जी0 टैंकर आदि का उपयोग आतंकवादी भयानक फैलाने के लिए कर सकते है।

सम्भावित स्थल

1. भीड़–भाड़ वाले इलाके।
2. टेलीफोन ऐक्सचेंज सुलतानपुर, सिविल लाइन।
3. पुलिस लाइन, सुलतानपुर।
4. 400 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र, सुलतानपुर

5. मण्डी समिति, सुलतानपुर।
6. रेलवे स्टेशन, सुलतानपुर।
7. किसान सहकारी चीनी मिल, सुलतानपुर।
8. केन्द्रीय विद्यालय, सुलतानपुर।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा।

1. जांच दल :– इसका मुख्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जांच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।
2. विसंक्रमण दलः– यह दल संक्रमण/खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र ा विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।
3. बचाव दलः– यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलों को अस्पताल पहुंचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।
4. चिकित्सा दल :– दुर्घटना स्थल पर यथासंभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग करेगा।
5. सुरक्षा अधिकारी :– सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वयं एवं अनुशासन रखें। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा जैसे–जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलेंस, वाहन, मानव श्रम।

क्या करें–क्या न करें

क्या करें :–

1. प्रभावित क्षेत्र खाली करें तथा आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 05362–220189 व टोलफ्री नम्बर 1077 पर तथा पुलिस/अस्पताल को तत्काल सूचित करें।

2. जहरीली गैसों के प्रभाव से यदि पक्षी मरते एवं गिरते दिखाई पड़े तो मकान अथवा कार्यालय जैसे बन्द ढ़ाचें के अन्दर शरण लें तथा दरवाजे, खिड़कियाँ, पंखें, एचरकंडीसनर बन्द कर दें।
3. रेडियों, टी0वी0 की घोषणाएं सूने और जब कहा जाय तब बाहर निकलें।
4. बाहर से घर आने पर तत्काल स्नान करें, एवं कपड़े प्लास्टिक के बैंक में अलग रख दें।
5. यदि खुलें में हो तो मुंह व नाक गिले कपड़े से बन्द रखें।
6. संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थो से दूर रहें।
7. 100 मीटर के दायरे को बन्द किया जाय।
8. हवा की दिशा में 500 मीटर तक तत्काल खाली किया जाय।
9. पुलिस/अस्पताल को तत्काल सजग किया जाय।
10. Three colour Detector Paper (TGD) paper और RVB-Residual Vapeur Detection Kit का प्रयोग कर Chemical agent की खोज करना।
11. Chemical ajent monitor AP2C/CAM का प्रयोग कर Nerve/Glister agent का पता करना यदि Nerve agent है तो विष रोधी दवाओं हेतु Autoject Injectors (AJI) का प्रयोग करना। यदि Glister agent है, तो चर्म संक्रमण हटाने हेतु PDK-Personal Decontamination Kit का प्रयोग करना।
12. स्पेक्ट्रोस्कोपी (Spectroscopy) आधारित CAM का प्रयोग कर सक्रमित क्षेत्र का चिन्हीकरण या फ्लेम फोटोमेट्री आधारित मॉनिटर AP2C का प्रयोग।
13. विसंक्रांमक सूट पहन कर क्षेत्र की सफाई सचल विसंक्रामक उपकरण और विसंक्रमण Salution से करना।
14. प्रभावित व्यक्तियों को हटाने के लिए Casulty बैग प्रयोग करना।
15. व्यक्तिगत सुरक्षा कवच किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निम्नवत पहनाया एवं उतारा जाय।

पहनने का क्रम	**उतारने का क्रम**
1-IPG-Individual Protective	1.विसंक्रमण किट से सफाई

2.Shoes	2.Shoes
3. सर्जिकल और ब्यूटाइल रबर दस्ताना	3. ब्यूटाइल रबर दस्ताना
4. मॉस्क एवं थैनिस्टर	4. IPG
	5.सर्जिकल दस्ताना
	6.थैनिस्टर व फेस मॉस्क

क्या न करें :–

1– किसी द्रव को न छुएं।

2– स्थल/पीड़ित के पास भीड़ न लगाएं।

3– हवा के अनुकूल दिशा नमें न जाएं।

4– अफवाह न फैलाएं।

5– बचाव में लगे लोग अपना सूट तब तक न उतारें जब तक सुरक्षित न घोषित कर दिया जावें।

6– किसी भी संक्रमित वस्तु को न छुएं। इन्हें सील प्लास्टिक बैंक में ही रखें।

7– जब तक कहा न जाएं अपने स्थल से बाहर न निकलें।

8– नंगें पैर न निकलें।

9– अनावश्यक टेलीफोन न करें।

विषनाशक एवं जीवन रक्षक दवाओं शोधक/विष नाशाक पदार्थों। आवश्यक उपकरणों एवं आपातकालीन किट हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची अनुलग्नक–2 पर भाग–4 में लगायी गयी है।

इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए standard Operation System (SOP) इस प्रकार है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण :–

क्रमांक	अधिकारी / संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर / जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जन सहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2.	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रासायनिक पदार्थों के भण्डारण, परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्र करनां	खोज, बचाव, राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक हेतु आवश्यक, पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबन्दी, शरणालय / राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य / अर्द्ध सैन्य बलों की मांग। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हींकरण एवं रामन्वय।	घटना स्थल पर त्वरित गति, से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा। उपलब्ध करना। प्रभावित क्षेंत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों / शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। योजना तैयार करना। जन	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों / पीड़ितों / मृ

		जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	उपयोग करना। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	तकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
5.	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हींकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृ तकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6.	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्त्रोत संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेगा।	युद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्त्रोंतों की मरम्मत।
7.	विद्युत विभग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवांछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोकें तथा ऐसी किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण।
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की	

		उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हींकरणं। पेट्रोलपम्पों एवं एल0पी0जी0गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0की उपलब्धता का चिन्हींकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, प्रेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध करानां
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय।
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

अध्याय–5

तैयारियों के उपाय
(Preparedness measures)

यह मानव जनित आपदा है। परमाणु बम के हमले के अतिरिक्त दुर्धटना या आतंकवादी घटनाओं द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थ के विकिरण के कारण इस प्रकार की आपदा आ सकती है। आतंवादी कम शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल धनी आबादी वाले इलाकों, फसलों, खाद्य भण्डारों आदि पर करके अव्यवस्था एवं अराजकता फैलानें का प्रयास कर सकते है। दुर्धटनावश यह आपदा न्यूक्लियर प्लाण्ट पर आ सकती है। यह रेडियोधर्मी पदार्थों के परिवहन के दौरान हो सकती है। इस क्षेत्र में देश की संस्था Atomic Energy Regulatory Act (AERB) 1962 है जो Atomic Energy Act के तहत मुख्य नियंत्रक है। इसका पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण परिवहन, प्लाण्ट आदि पर रहता है। मुख्य खतरा इस आपदा से तब है जब यह हमलें के रूप में हो।

मनव आदिकाल से प्रकृति के श्रोतों से विकिरण की मात्रा लेता आ रहा है। भारत के केरल के तटीय इलाकों चीन, ब्राजील, ईरान, आदि में इससे अधिक मात्रा में विकिरण लोगों की प्रकृति से ही मिलता रहता है। रेडिएशन का उपयोग मानव हित के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है।

1.विद्युत उत्पादन में परमाणु विखंडन (Nuclear Fission) का प्रयोग किया जाता है।

2. कोबोल्ट–60 और Cs-137 का इस्तेमाल खनन तथा गैस एवं तेल उद्योग में किया जाता है।

3. C0.60 या Cs -137 का Y- श्रोत के रूप में मेडिकल उत्पादों, मांस, सब्जियों आदि के परिशोधन हेतु उपयोग होता है।

4.कैंसर के इलाज हेतु में गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है।

परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा उस स्थिति को कहते है, जब परमाणु हमले या रिसाव के कारण विकिरण अत्याधिक हो।

परमाणु विस्फोट का प्रभाव :– विस्फोट का प्रभाव परमाणु अस्त्र के प्रकार एवं विस्फोट की ऊँचाई हवा के रूख आदि पर निर्भर करता है। मानव प्रकृति पर यह असर तीन प्रकार से पड़ता है।

1. **विस्फोट प्रभाव :–** अचानक विस्फोट से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे अत्याधिक गर्मी ओर आस–पास के हवा में दबाव बन जाता है। गर्म और संघनित वायु फैलती है। और तेजी से ऊपर उठती है, जिससे पृथ्वी पर, पानी में शक्तिशाली कम्पन पैदा होता है। इससे सम्पत्ति व्यापक क्षति होती है। तेज आवाज से कान खराब हो जाता है। इससे अत्यन्त गतिशील हवा भी चलती है, जिससे चीजें उड़ने लगती है।
2. **गर्मी का प्रभाव :–** अत्याधिक गर्मी, तीव्र चमक वाला प्रकाश पैदा करती है और इससे गर्मी विकिरण होता है, जिससे आग लग जाती है तथा कई किमी0 तक फैल जाती है। अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के मिलते जाने से आग का तूफान सा आ जाता है।
3. **विकिरण :–** शुरू के एक मिनट में प्राम्भिक विकिरण का प्रभाव कुछ दूरी में रहता हे। इसके बाद गैस या धूल कणों के साथ रेडियोंधर्मी पदार्थ धरती पर गिरते है तथा कई सौ किमी0 तक के क्षेत्रफल को संक्रमित कर सकते हैं, जिसका असर व्यक्ति पर आजीवन, आने वाली पीढ़ियों तक पड़ सकता है।

उक्त से निपटने के लिये विशेष मेडिकल तैयारी भी होनी चाहिए–

1. **विसंक्रमित कक्ष का निर्माण–** चिन्हित अस्पताल में पर्याप्त उपकरण एवं औषधियों युक्त एक कक्ष होना चाहिए।
2. **धूल रहित वायु–**इलाज के लिये एक ऐसा वार्ड होना चाहिए, जहाँ शुद्ध वायु मिल सकें।
3. रेडियोएक्टिव वस्तुओं के निस्तारण की पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। मानव राहित क्षेत्र में एक टैंक होना चाहिए।
4. सुसज्जित सचल दस्ते भी होने चाहिए जो राहत बचाव कार्य कर सकें।
5. सुरक्षित उपकरणों से युक्त विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित टीमें सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचेगी।

6. पुलिस एवं फायर सर्विस के कर्मचारी भी पर्याप्त प्रशिक्षित एवं सुसज्जित होंगे।
7. जिले में रेडियोऐक्टिव पदार्थों का उपचार करने हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्टॉफ, डाक्टर, एम्बुलेंस एवं अस्पताल की यूनिट तैयार करनी होंगी। आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ ही दुष्प्रभाव कम करने एवं फैलाव रोकने तथा विसंक्रमण के लिए भी टीमें, उपकरण एवं औषधियां होनी चाहिए।
8. इन कार्यों के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य उत्तरदायी होंगे। प्रशिक्षण आदि के उपरान्त घटना के उपरानत बाहरी सहायता के लिए भी उचित स्तर पर बातचीत करेंगे।
9. विकिरण मॉनिटर संवेदनशील स्थानों पर लगाए जा सकते है, जो नजदीकी थाने से जुड़ें हों। साथ ही पुलिस वाहनों में भी ये उपकरण लगाए जा सकते हैं। जिले के बम निरोधी दस्ते के पास विकिरण खोजी उपकरण होना चाहिए। इनके अतिरिक्त जांच आदि कार्य के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, जो वर्तमान में सबसे नजदीक लखनऊ में है।

   घटना के दौरान

   इस प्रकार की किसी आपात स्थिति में गठित दस्ते पूर्व सुसज्जित होकर घटना स्थल को प्रस्थान करें। ये दस्ते शिफ्टों में काम करेंगे। विभिन्न दस्ते एवं इनकी जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगी :–

   1. खोजी टीम :– यह टीम मुख्य रूप से विकिरण स्थल एवं उसके स्तर की जांच के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम जन हानि का आंकलन भी करेगी। जांच के लिए नमूने लेकर उसे प्रयोगशाला भेजने के साथ ही किसी संदेह की दशा में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगी। किस क्षेत्र में राहत कर्मी जा सकते हैं और कितना क्षेत्र प्रतिबंधित होना है, का निर्धारण भी यही टीम करेंगी।
   2. विसंक्रमण टीम :– यह टीम प्रभावित व्यक्तियों, उपकरणों एवं क्षेत्र के विसंक्रमण के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम घायलों को मेडिकल टीम

को देगी। कम घायल अथवा सामान्य व्यक्तियों को मेडिकल सलाह के आधार पर जाने दिया जायेगा। विसंक्रमण के लिए इस्तेमाल पानी को टैंको में सुरक्षित रखा जाएगा तथा निस्तारण पूर्व निर्धारित स्थल पर किया जाएगा। क्षेत्र को सामान्य घोषित करने के पूर्व सधन सर्वे भी यह टीम करेगी।

3. बचाव एवं विस्थापन टीम :– यह टीम मुख्य रूप से लोगों के विस्थापन एवं सहायता के लिए जिम्मेदार होगी, जिन्हें विसंक्रमित स्थान पर ले जाया जाएगा। लोगों को सही सूचनाएं देकर अफवाहों पर विराम लगाएगी तथा पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाएगी।
4. मेडिकल टीमः– यह टीम घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए एवं गम्भीर को चिन्हित कर अस्पताल भेजवाने हेतु जिम्मेदारी होगी। विसंक्रमण टीम को मेडिकल सहयोग देगी तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग देगी।
5. समन्वयी टीमः– उक्त सभी टीमों के कार्यों में समन्वय रखने, शिफ्टवार कार्य सुनिश्चित कराने तथा सूचनाओं के सही आदान–प्रदान के लिए सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम कार्य करेगी।

घटना के उपरान्त

- ✓ घायलों एवं पीड़ितों को हटाने के बाद क्षेत्र एवं चल, अचल सामग्री विसंक्रमित की जायेगी। मृतकों के शरीर प्लास्टिक बैग में पूर्व निर्धारित स्थानों या मोर्चरी में ले जाया जाएगा।
- ✓ मिट्टी, वायु एवंज ल में विकिरण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत इन्हें विसंक्रमित किया जाएगा।
- ✓ विसंक्रमण के लिए रेडियोऐक्टिव सामग्री को मशीनों से इकट्ठा किया जाएगा तथा धूल को वैक्यूम क्लीनर से हटाया जाएगा। क्षेत्र को पानी से धुलकर भी विसंक्रमित किया जाएगा।

परमाणु आपदा–प्रबन्धन हेतु चेकलिस्ट

1. बचाव एवं राहत कार्यों का चिन्हांकन।

2. विस्थापन एवं पुनर्वास की आवश्यकताएं।
3. विशेषज्ञ टीमों की व्यवस्था, शिफ्टवार ड्यूटी।
4. उपकरणों एवं संसाधनों को विसंक्रमण से बचाना।
5. लाउडस्पीकर, टॉर्च, जनरेटर, प्लास्टिक, बैग, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, गैस मॉस्क का उपयोग।
6. संक्रमित क्षेत्र को पृथक करना।
7. विस्थापन, मार्ग, परिवहन आदि।
8. विसंक्रमण।
9. संचार व्यवस्था।
10. रेडियोएक्टिविटी का स्तर।
11. मानव, पशु श्वों एवं संक्रमित वस्तुओं का निस्तारण। निस्तारण बैग में सील करके पूर्व निर्धारित स्थल पर ही किया जाय।
12. संक्रमित वस्तु, वस्तुएं हटायी जायं तथा लोगों को विसंक्रमित करके ही कहीं जाने दिया जाय।
13. घटना का विवरण संक्षेप में कालक्रमानुसार तैयार करना।

:–क्या करें–क्या न करें :–

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के पूर्व

1. संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थो से दूर रहें।
2. आवास में एक वेसमेंट बनाए या चिन्हित करें जहां पर पूरा परिवार रह सकें।
3. यदि वेसमेंट न हो तो धर के सामने गडढा खोदकर बंकर बना लें।
4. घर पर नष्ट व खराब न होने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ सुरक्षित रखें।
5. शरणालय में मूत्रालय व शौचलय की भी व्यवस्था रखें।
6. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखें।
7. बैट्री संचालित रेडियों रखें।
8. खिड़कियों एवं शीशें के दरवाजों पर काला पेपर चिपका दें।

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के दौरान

1. 4 से 5 फीट गरहें गडढे की तलहटी में गाना विकिरण से बचाव हो सकता है।
2. प्रकाश एवं गर्मी से सुरक्षा का कार्य बाग अथवा जंगल में हो सकता है।
3. यदि खुले में है तो तत्काल जमीन पर लेट जाय तथा तब तक पड़े रहे जब तक मिट्टी, कंकड़, लकड़ी के टुकड़े गिरना बन्द न हो जाय।
4. आंख एवं चेहरे को हाथों से ढंक लें।
5. कानों को भलीभांति अंगुली से बन्द कर लें।
6. यदि वाहन में है तो प्रकाश होने पर चेहरा नीचे का वाहन से दूर प्रकाश की दिशा में जमीन पर लेट कर शरण लें।

अध्याय–6

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के उपाय

(Capacity Building and Training Measures)

हमले के दौरान टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा।

1. जांच दल :– इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला के नमूनों की जांच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।
2. विसंक्रमण दल :– यह दल संक्रमण/खतरे पर नियंत्रण के साथ व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।
3. बचाव दल :– यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बतानें में सहयोग करेगा। घायलों को अस्पताल पहुंचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।
4. चिकित्सा दल :– दुर्घटना स्थल पर यथासंभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखनें में भी सहयोग करेगा।
5. सुरक्षा अधिकारी :– सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदना प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखें। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा। जैसे–जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलेंस वाहन, मानव श्रम।

क्या करें जैविक हमला या दुर्घटना के दौरान

1. शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें। नाखून कटे हों तथा खाने के पहले हाथ साबुन से धोयें।

2. पानी उबालकर पीयें।

3. सुरक्षित सब्जियों आदि एवं खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

4. उपलब्ध टीकाकरण का उपयोग करें।

5. नई सब्जियों को डिटरजेंट से धोकर पकाएं।

6. किसी तरह की बीमारी की सूचना आपदा प्रबनघन नियंत्रण कक्ष अथवा स्वास्थ्य विभाग को दें।

7. संक्रमित खाद्य पदार्थो, वस्तुओं, फसलों इत्यादि को नष्ट करनें में सहयोग प्रदान करें

8. मच्छरदानी का प्रयोग करें।

क्या न करें।

किसी प्रकार का अपशिष्ट विशेष रूप से खाद्य अपशिष्ट एकत्रित न होनें दें।

1. पानी एकत्रित न होनें दें।
2. संक्रमित अथवा बासी पदार्थो का सेवन न करें।

अध्याय–7

राहत के उपाय एवं प्रतिक्रिया

(Response and Relief measures)

जनपद सुलतानपुर में भूकम्प का कोई इतिहास नही है, किन्तु संवेदनशीलता की दृष्टि से जनपद खतरे के जोन–3 में है तथा जोन–4 के नजदीक है। इस कारण भूकम्प की दृष्टि से जनपद सम्बेदनशील माना जाता है।

भूकम्प से होने वाली क्षति का सबसे बड़ा भाग मकानों से टूटकर गिरनें के कारण होता है। मकानों के टूटने से होने वाली सम्पत्ति की क्षति के साथ इसके मलवे में दबकर व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है और इससे स्थिति अत्याधिक भयावह हो जाती है।

भूकम्प से सम्बन्धित आपदा के बचाव हेतु भूकम्परोधी मकान बनाना मुख्य योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ ही पर्याप्त संख्या में दक्ष अभियंता, नगर नियोजक एवं क्रियान्वयी संस्थाओं की आवश्यकता है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Metrological Department) भूगर्भ अध्ययन एवं पर्यवेक्षण की नोडल एजेन्सी बनायी गयी है तथा Bereau of Indian Standard भारतीय मानक ब्यूरो को भूकम्परोधी मकानों की विधि एवं अन्य सुरक्षा मकानों हेतु नोडल बनाया गया है।

प्रस्तावना

प्रकृति की सबसे बड़ी विपदाओं में भूकम्प सबसे विनाशकारी है। भूकम्प की पूर्व सूचना के लिए हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के असामान्य व्यवहार पर निर्भर करते थे। आज स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। बहुत सी मशीनें बन गयी है। नई तकनीक का सहारा लिया जाने लगा है। इससे भूचाल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है।

भूकम्प के लक्षण

दुनिया में हर साल भूकम्प आते है। इनमें से कुछ के बारे में ही जानकारी हम सभी तक पहुचंती है। असल में जमीन के अन्दर लगातार टूट–फूट होती रहती है। बाहर से वह दिखाई नहीं देती। धरती पर बाहरी परतों का दबाब पड़ता रहता है।

भीतरी ताकतें भी अपना जोर लगाती है। दबाव अधिक होनें पर चट्टानें अचानक टूट जाती है। वे टूट कर या तो अन्दर धंस जाती है अथवा ऊपर की ओर उभरने लगती है। उनके इसी जोरदार धक्के से पृथ्वी कांपने लगती है। तकनीकी शब्दों में पृथ्वी की इन विभिन्न प्रकार की सतहों एक प्राकृतिक आपदा है। जमीन की ऊपरी परत आमतौर पर सख्त और स्थिर होती है। अन्दर से पृथ्वी प्रायः कांपती रहती है। यह कम्पन इतना मामूली होता है कि हमें पता नहीं लगता। कभी–कभी यह कम्पना इतना विकराल रूप धारण कर लेता हे कि पहाड़ों की चट्टानों टूटकर गिरनें लगती है। जमीन में दरारें पड़ जाती है। नगर के नगर ध्वंस हो जाते है। पानी के स्त्रोत अपना स्थान बदल लेते है। कहीं पर नए चश्में फूट पड़ते है और कहीं पर पानी से भरे चश्में सूख जाते है। गहरी खाईयां गुम हो जाती है और नई घाटियां बन जाती है। इन सब कारणों से जान–माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। यह नुकसान कम से कम हो उसके लिए अब तकनीक और समझदारी ही एक सहारा है।

भूकम्प के प्रभाव को कम करने वाले उपाय–

सरकार इस बात के पूरे–पूरे प्रयास कर रही है कि यदि कहीं पर भूकम्प आ ही जाएं तो उससे होने वाली हानि कम से कम हो। इसके लिए सरकार नें कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए है। भारतीय मानक संस्थान में देश के भूकम्प प्रभावित इलाकों को कुछ क्षेत्रों मे विभाजित किया है। ऐसे मापददण्ड निश्चित कर दिए है, जिनके अनुसार उन क्षेत्रों में मकान बनाए जाए तो वह बहुत कम क्षतिग्रस्त होगें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में भवनों का निर्माण स्थानीय अधिकारियों की देखरेख में नियमानुसार होता है। परन्तु इन नियमों में कई बार भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों को शामिल नहीं किया जाता है। कई स्थानों पर नियम लागू किए जाते है परन्तु उनकी ठीक–ठीक जानकारी वहां के भवन बनाने वालों को नही होती। देहातों में तो यह समस्या और भी गम्भीर है।

चक्रवात आपदा

वातावरण में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तेज हवाएं उसके चारों ओर चलने लगती है, जिससे चक्रवात आते है। चक्रवात में तेज आंधी एवं खराब मौसम का भी आगमन होता है। उत्तरी गोलार्द्ध में यह हवा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। हवा की गति जितनी तेजी होती है, नुकसान की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। भारत के सन्दर्भ में चक्रवात का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में पड़ता हे। सुलतानपुर जनपद में भीषण चक्रवात का कोई इतिहास नहीं रहा है, फिर भी समय–समय पर इसका असर देखने को मिलता है। तेज आंधी एवं तूफान से पेड़ गिर जाते है। पेड़ के गिरने से विद्युत के खम्भे एवं तार टूट जाते है, जिससे बिजली की समस्या पैदा होती है तथा करेण्ट से यदा–यदा दुर्धटनाएं हो जाती है। पेड़ों एवं कच्चे मकान/मण्डई के गिरने से जन हानि भी हो जाती है।

चक्रवात की दृष्टि से की गयी जोनिंग से स्पष्ट है कि सुलतानपुर अपेक्षाकृत कम संवेदनशील जोन में आता है।

सूखा आपदा

सूखा गम्भीर संकट नही कैसे करे सामना

जनपद मुख्य रुप से कृषि प्रघान है। इसकी अधिकांश कृषि पर निर्भर है। खेती हेतु सिंचाई के लिये जनपद में उपलब्ध संसाघन एवं खेती के क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है।

खरीफ का क्षेत्रफल ,	94383 हे0
जनपद में सरकारी चालू नलकूपो की संख्या	447
नहर के कुल टेलो की संख्या	196

उक्त के अतिरिक्त प्राइवेट बोरिंग से सिंचाई की सुविधा है। इसके बावजूद अवर्षण की स्थित में सूखा की समस्या पैदा हो जाती है। यघपि जनपद में सूखे से अंकाल या महामारी जैसी स्थित नही आयी है न ही कोई समस्या उपन्न हुई है। फिर भी फसलो को क्षति के कारण किसानो कों नुकसान उठाना पडता है। पेयजल की भी कोई समस्या विगत वर्षो में नही आयी है।किन्तु जलस्तर नीचें चले जाने से कठिनाई पैदा होती है।

आंखे आसमान पर टिकी है। तेज धूप में चमकता साफ नीला आसमान कही कोई काला घना बादल दिख जाय इसी उम्मीद मे आषाढ निकल गया। सावन मे तो छीटे भी नही पडे। भादों मे दो दिन पानी बरसा तो लेकिन गर्मी से बेहाल घरती पर बूदें गिरी ओर भाप बन गई। अब.....?

अब क्या होगा.....? यह सवाल हमारे देश मे लगभग हर तीसरे साल खडा हो जाता है। देश के 3 राज्यो के 135 जिलो की कोई दो करोड हैक्टर कृषि भूमि प्रत्येक दस साल में चार बार पानी के लिए त्राहि त्राहि करती है।

भारत की अर्थ ब्यवस्था का अधार खेती किसानी है। हमारी लगभग तीन चौथाई खेती बारीश के भरोसे है। जिस साल बादल कम बासे आम आदमी के जीवन का पहिया जैसे पटरी से नीचे उतर जाता है। मौसम विज्ञान के मुताबिक किसी इलाके की औसत बारिश से यदि 19 प्रशित कम पानी बरसे तों इसे समान्य वर्षा माना जाता है। यदि बारिश बारिश में 19 फीसदी से भी कम हो तो इसे अनावृष्टि कहते है। लेकिन जब बारिश से 59 फीसदी से भी नीचे रह जाए तो इसको सूखे के हालात कहते है।

कहने को तो सूखा एक प्राकृतिक संकट है। आज के दौर मे इंसान भी कमी के लिए कम जिम्मेदार नही। राजस्थान के रेगिस्तान और कच्छ के रण गवाह है। कि पानी की कमी इंसान के जीवन के रेको को मुऱझा नही सकती है। वहां सदियो से बेहद कम बारिश होती है। इसके बावजूद वहां लोगो की बस्तियॉ है। उन लोगो का बहुरंगी लोक रंग है। वे कम पानी में जीवन यापन करना जानते है। क्योकि वह पानी के हर बुंद को अच्छे से सहेजना से कम पानी में जीवन यापन करना जानते है।

क्योकि वहां लोगो की बस्तियां है उन लोगो का बहुरंगी लोक रंग है। वे कम पानी मे जीवन यापन करना जानते है क्योकि वह पानी के हर बुंद को अच्छे से सहेजना जानते है।

जिन अलाको में अच्छी बारिश होती है। वहॉ के लोग बेशकीमती पानी की कीमत नही जान पाते है। जिस साल वहॉ कुछ कम पानी बरसता है। तो वे बेहाल हो जाते है। सूखे के दौर में पीने के पानी का संकट अन्न की कमी और मवेशियो के लिए चारे की कमी सिर उठाने लगती है। फसले बरबाद हो जाती है। कुपोषण बीमारी जीवन में आई अनिश्चतता के कारण मानसिक परेशानियॉ इस त्रासदी को भयावह बना देते है। सूखा बेरोजगरी साथ ले कर आता है। ऐसे में लोग काम की तलाश में अपने घर गॉव से दूर पलायन करते है। छोटा किसान फसल की तैयारी के लिए सूदखेरो की गिरफ्त मे फंस जाता है। यह ऐसा दुष्चक्र होता है। जिसके बाहर निकालना बेहद कठिन है। तो क्या सूखे से बचा जा सकता है।? आज हमारा विज्ञान प्रकृति नियंत्रण के भले ही बडे बडे दावे करे लेकिन एक छोटी सी प्राकृतिक आपदा के सामने हम बौने साबित होते है। हम ना तो बारिश को बुला सकते है ना ही उसकी दिशा बदल सकते है। ऐसे में संकट का सहजना से सामना करने का एकमात्र रास्ता है।

देखभाल

आखिर मेरे इलाके का पानी कहॉ चला जाता है।? जब रेगिस्तान में लोग थोडे से पानी में साल भर जीवन मजे से काटते है तो हम क्यो नही? जब मालुम है कि औसतन हर तीन साल में एक बार कम बारिश से हमारा पाला पड सकता है तो हम पहले से तैयार क्यो नही रहते है।? क्या कम बारिश होने के बाद सरकार की और उम्मीद से देखना या फिर पलायन कर जाना ही एकमात्र विकल्प है।? ये सारे सवाल यदि आपके भी मन मे आते है। तो निश्चित आप सूखे से जूझ सकते है। पानी की हर बूंद को बचाना पेडो का रोपण खेती मे बदलाव जमीन को मवेशियो की

अतिचराई से बचाना ये ऐसे निदान है। जो कम बारिश के बावजूद सूखे के हालत बनने से रोक सकते है।

बूंद बूंद को बचाना

पीने के लिए स्वच्छ जल खेत के लिए पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी और मवेशियो के लिए पेय जल पानी के बगैर इंसान का जीवन असंभव है। कम बारिश के संभावित इलाको की जानकारी सभी को है।

पानी को रोकने के हरसंभव उपाय:-

1 पारंपरिक तालाबो की सफाई मरम्मत व गहरीकरण गर्मी के महीनो मे कर ले ताकि थोडा भी पानी बरसने पर उसमे जल संग्रह हो सके।

2 तालाबो व झीलो में जो पानी अन्यत्र बाहर से आता है। यदि उसके रास्ते मे कोई रुकावट हो तो उसे हटा दे।

3 पुराने कुओ की नियमित सफाई करते रहे।

4 गॉव मुहल्ले के हैण्डपम्पो की मरम्मत समय समय पर कराते रहे।

5 पक्के घरो की छतो पर बारिश के पानी निकासी को नाली मे बहने देने से रोके। इस पानी को किसी पाईप के जरिए जमीन में गहरे उतार दे। इसे वाटर हारवेस्टिंग कहते है। इसकी तकलीफ जानकारी विकाखंड कार्यालय से लें और अधिक से अधिक भवनो में इसे लागू करे।

6 हैडपंप और ट्यूबवेल के करीब छोटे छोटे गडढे या तलैया खोदे जिससे बारिश

का पानी इनमे एकत्र है। यह पानी भूजल को ताकत देता है।

7 बर्तन और कपडो की घुलाई वाहन व अन्य चीजो की सफाई मे कम से कम पानी का इस्तेमाल करे। यदि जरुरी ना हो तो डिटरजेट साबुन का प्रयोग न करे। क्योकि इसमे पानी अधिक लगता है।

8 हैण्डपप्प से बडे बेकार पानी को एकत्र करने की व्यावस्था करे। यदि हौद या टंकी बना ले तो बेहतर होगा। यह पानी मवेशियो के पीने के काम आ सकता है।

वृक्षारोपण

जहाँ हरियाली होगी वहॉ बादल जरुर बरसेगे यह बात विज्ञान से सिद्ध होती है। सुखे के हालात में पेडो की मौजूदगी किसी चमत्कार की तरह होती है। पेड पौधे जमीन की नमी बरकार रखते है। साथ ही मिट्टी की ऊपरी सतह को टूटने बिखरने से भी बचाते है। इसके अतिरिक्त निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

1 गॉव के स्कूल पंचायत और ऐसी ही सार्वजनिक जगहो पर पेड लगाऍ जो पारम्परिक रुप से आपके इलाके का हो। सफेदा या विलायती बबूल लग तो जल्दी जाते है। लेकिन ये नए संकटो को बुलावा देते है।

2 फलदार पेड आय का वैकल्पिक साघन है। आम, जामुन,नीम जैसे पेड ज्यादा होते है।

3 नदी तालाबो के किनारे बेकार जमीन पर चारा उगाऍ। यह संकट के समय मवेशियो के लिए उपयोगी होगा। इससे जमीन का घारण भी रुकता है। वमिट्टी की नमी बरकरार रहती है।

कृषि कार्य

बगैर पानी के खेती संभव नही है। आज कई ऐसे बीज बाजार में आ गए है। जिसमे कम पानी की जरुरत होती है। साथ ही फसल भी जल्दी तैयार है किन्तु यह घ्यान रखे कि

1 खेत के आसपास छोटे छोटे तालाब बनाएँ। यह पानी भूजल के लिए फासदेमंद होगा। जरुरत पडने पर सिंचाई और मवेशियो के काम भी आता है। इन तालाबो में मछली पाल कर अतिरिक्त आय भी की जा सकती है।

2 मक्का की जीएम 6 धान की शोका 228 के अलावा चने की भी कुछ ऐसी किस्मे उपलब्ध है जो कम पानी मांगती है।

3 रासानिक खादो के स्थान पर कंपोस्ट का इस्तेमाल भी मांग को कम करता है।

प्रबंघन

सूखे का पूरें जन जीवन पर वितरीत असर करता है। इसके बाद विकास के काम ठप हो जाते है। जो पैसा या संसाघन विकास के कार्मो मे लगना चाहिए वह राहत व पुनर्वास में खर्चे हो जाता है। भोजन खेती रोजगार बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य ऐसी ही कई समस्याएं साथ ले कर सूखा आता है। सूखे से सुखे से संभावित क्षेत्रो में प्रबंघन के तीन प्रमुख चरण होते है।

1 सुखा पूर्व तैयारी

2 सूखे के दौरान प्रबंधन

3 जन जीवन सामान्य बनाये हेतु कदम

सूखे से पहले की तैयारी

सूखे या ऐसी किसी आपदा को नियंत्रित करना तो संभव नही है। लेकिन इसका पूर्वानुमान होने पर इसके जूझने की तैयारी जरुर की जा सकती है। कम बारिश होने की मौसम विभाग की चेतावनियो को कमी हलके मे नही लेना चाहिए। वही बारिश के पूर्वानुमान के देशी पाररंपरिक तरीको को भी देना ठीक रहता है।

1 मौसम विभाग के पूर्वानुमानो को रेडियो अकबार टीवी के माघ्यम से देक्ष पडा जा सकता है। यदि कम बारिश की संम्भावना हो तो आने वाले मशीनो के लिए सामूहिक तैयारी करनी होगी।

2 कृषि विस्तार अधिकारी और विकासखंण्ड कार्योलयो में भी बारिश की संभावना की सूचनाएँ उपलब्ध रहती है। इस सूचना को गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक इस तरह पहुंचाए कि कहर डर आतंक या घबराहत का मौहाल ना पैदा हो जाए। घ्यान रहे ऐसी हडबडाहट का फायदा सूदखोर बिचौलिए और कालाबाजारी करने वाले लोग उठा सकते है।

3 छोटे मोटे आपसी विवादो जातीय या घार्मिक टकरावो को भूल प्रयास करे कि नियमित समय मे तभी लोग एक साथ बैठे नाचे गाए और कुछ पल आनंद के साथ बिताएं।

4 पानी के कमी के कारण फैलाने वाली बीमारीयो लिए संभावित दवाइयां जैसे ओ आर एस घोल आदि एकत्र कर ले।

5 शुद्ध पेय जल के लिए देशी तकनीक पर आघारित छन्नो (बजरी चूना फिटकरी) की ब्यवस्था रखे ।

6 रोजगार गारंटी योजना के तहस जॉब कार्ड बनवाएँ। गॉव की सर्वजनिक वितरण प्रणाली मे यदि कमी तों उसे ठीक करने के लिए संबघित अधिकारी से संपर्क करें।

7 हालात बिगडने से पहले ही गॉव के लोगो की दिक्कतो की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारीयो तक अवश्य पहुंचाए।

8 पंचायत समिति की सहायता से गॉव की कुल आबादी मवेशियो की संख्या जल के स्त्रोत आदि आकडो को एकत्र कर ले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है। कि आने वाले महीनो मे गॉव में खाने की सामग्री पेयजल और चारे की कितनी होगी।

9 अन्य बैक स्वयं सहायता समुह योजजाएँ सूखा संभावित के लिए वरदान है। स्वंम सहायता समुह रोजगार के अवसर मुहैया करवाने तथा उची ब्याज दरो पर उघार देने वाले साहकारो से मुक्ति का माघ्यम है।

10 कम बारिश की संभावनाओ की जानकारी मिलते ही पानी के संचयन के उपायों को गंभीरता से लागू करने लगे।

11 प्रयास करे कि इलाके के हर खेत फसल बीमा योजना में शामिल हो।

सूखे के दौरान प्रबन्घन

सूखा तात्कालिक मुसीबत नही है। समय के साथ इसकी विकरालता भी बढती जाती है। इसके दुष्प्रभाव दूरगामी होते है। इन हालातो में आपसी तालमेल सुनियोजित व्यवस्था और प्रबन्धन से तकलीफ को कम किया जा सकता है।

1 सूखे के संकट का सामना करने का सूत्र है एक साथ रहो। सुखे की मार से कही ज्यादा तकलीफदेह होता है अकेले पड जाना। यदि समुचा गॉव एक साथ हो तो लोग संकट और शोषण दोनो से बच सकते है।

2 सुखे के शुरुआती दिनो मे कुछ दृढ संकल्प जरुरी है गॉव छोडने किसी और को भी नही छोडगे। यदि यह संकल्प कारगर हो गया तो सुखे की कडी घूप पूर्णिमा के चॉद की तरह शीतल महसूस होगी।

3 चाहे कम पानी से ही सही नहाएं अवश्य। इसी तरह कपडो को भी साफ रखे वरना खुजली जैसे रोग हो सकते है।

4 पीने का पानी शुद्ध हो इसका घ्यान जरुर रखे। पानी चाहे हैडपंप का हो या कुएं का या फिर नदी पोखर का उसे उबालना और छानना ना भूले।

5 इस संकट के काल में सामाजिक या घार्मिक उत्सवों में फिजूलखर्ची और दिखाओ से बचे।

6 यदि गॉव मुहल्ले में पानी के सभी खेत सूख गए हों तो वरिष्ठ अधिकारियो को इसकी सुचना दे। पाने के पानी को टैंकर के माघ्यम से सप्लाई करवाने का सरकार के पास प्रावधन होता है। उपर सुनवाई ना होने की दशा मे जन प्रतिनिघियो और मीडिया के माघ्यम से अपनी बात उपर तक पहुचॉए।

7 दुर्भाग्य से यदि मवेशियो की मौत हाने लगे तों लाशो के तत्काल निबटारे की ब्यवस्था की जाए वरना कई बीमारियॉ फैल सकती है।

8 जब चारे की होती है। तब मवेशी जंगलो व चरागाहो में अंघाधुंध चराई करते इसके कारण जमीन की उपरी परत को नुकसान होता है। चिडियो मवेशियो आदि के माध्यम से होने वाला बीजो का संचारण भी इससे प्रभावित होता है। मवेशियो के नंगी क जमीन को लगातार चाटने व चरने से जमीन की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है।

9 मामूली मजदूरी या पलायन के कारण बच्चो का स्कूल जाना कतई न रोक। बच्चो के स्कूल में मिड से तो मिलता ही है। साथ ही पढाई उन्हे समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखती है।

10 गॉव मुहल्ले के हर घर के प्रत्येक सदस्य की जानकारी नियमित एकत्र करते रहे। कही कोई शर्म या सामाजिक संकोच के कारण भूखा बीमार या तनावग्रस्त तो नही है।

11 अगली फसल की तैयारी के लिए उचित बीच खाद आदि के बारे मे सोचे। इसके लिए कर्ज लेना हो तो सरकारी योजनाओं का भी सहारा लें।

12 गर्भवती महिलाओ बुजुर्गो और शिशुओ को पौष्टिक आहार मिलते रहना चाहिए। इसमे आंगलगवाडी कार्यकर्ता गैरसरकारी संगठन और पंचायत से सहयोग लेना आपका अधिकार है।

अध्याय–8

पुर्ननिर्माण, पुर्नवास एवं बचाव के उपाय

(Reconstruction, Rehabilitation and Recovery Measures)

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी से यदा–कदा जन–धन की हानि होती रहीं है। किन्तु ओलावृष्टि, शीतलहरी से किसी बड़ी घटना का इतिहास इस जनपद का नही है। शीतलहरी का प्रकोप 15 नवम्बर के बाद शुरू होकर दिसम्बर व जनवरी माह में यदा–कदा रहता है। कभी–कभी वर्षा भी होती है।जिससे ठण्ड होकर बढ़ जाती है।

अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को ठण्ड से बचाव हेतु शासन के सहयोग से प्रशासन द्वारा निःशुल्क कम्बल वितरण कराया जाता है। तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थानो पर तहसीलदार/क्षेत्रीय लेखपाल आदि के सहयोग से अलावा जलाये जाते है।

क्या करे, क्या न करे– शीतलहर के दौरान या पहले

1. फावड़े, कूदाले, जलावन की लकड़ियां और पर्याप्त गर्म कपड़ो के साथ आपातकालीन किट तैयार रखे।
2. घर के अन्दर सुरक्षित रहें तथा स्थानीय रेडियो से मौसम की जानकारी लेते रहे।
3. शीतदंश के लक्षणो का पहचाने जैसे –हाथों एवं पैरो की उगंलियो, कानों, नाक आदि पर सफेद पीले दाग उभर आना। शीतदंश की स्थिति में शीघ्र अपने निकटम स्वास्थ्य केन्द्र जाकर इलाज कराये।
4. कोयले की अंगेठी/मिट्टी का चूल्हा/हीटर आदि प्रयोग करते समय सावधान रहें व कमरें को हवादार रखें ताकि जहरीले धुएँ से नुकसान न हो।
5. विषम परिस्थितियों अथवा अत्यधिक सर्दियों के लिए ईधन बचाकर रखें।
6. शरीर को सूखा रखे, गीले कपड़े तुरन्त बदल लें यह आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकते है।
7. अपने परिवार को यथासम्भव घर के अन्दर सुरक्षित रखे।
8. घर में अलाव के साधन नहीं है। तो अत्यधिक ठण्ड के दिनों में सामुदायिक केन्द्रों/स्थलों पर जाये जहाँ प्रशासन द्वारा अलाव का प्रबन्ध किया जाता है।
9. कई स्तरों वाले गर्म कपड़े आपको शीतदंश और हाइपोथर्मियां से बचा सकते है।

चिकित्सीय आपदा

दुर्घटना में घायल अथवा आकस्मिक रूप से बीमार व्यक्ति को डॉटकर अथवा एम्बुलेन्स के पहुंचने से पूर्व किया जाने वाला प्रारम्भिक उपचार प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है।

प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्यः–

किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा उसकी जीवन रक्षा हेतु व उसकी दशा और ज्यादा बिगड़ने से बचाने हेतु दी जाती है।

प्राथमिक चिकित्सा कौन कर सकता हैः–

जिसे प्राथमिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान हो, जो दूसरो की सहायता करने की भावना रखता हो, जो शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सकता हो, जो तनावयुक्त परिस्थितियों का सामना कर सकता हों। यह भी ध्यान रखें अत्यधिक उत्साह व तीव्र भावनात्मकता, प्राथमिक चिकित्सा में प्रद हानिकारक हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा देने के पूर्वः–

1. आपको कोई खतरा तो नहीं है।
2. दूसरो को कोई खतरा तो नहीं है।
3. रोगी को कोई खतरा तो नहीं है।
4. रोगी को होश है। अथवा नहीं।
5. चारो ओर से वायु का प्रवेश हो रहा है। या नही। साथ ही यह भी देख ले वायु शुद्व है। या नहीं ।
6. रागी की छाती में हलचल हो रही है या नहीं। अर्थात रोगी की धड़कन चल रही है। या नही। क्या आप रोगी की श्वास को अपने गाल पर महसूस कर पा रहे है।
7. रोगी की नाड़ी चल रही है। या नहीं। क्या रोगी में जीवन के लक्षण दिख रहे है।

जल जाने या झुलस जाने पर प्राथमिक चिकित्साः–

1. यदि कपड़ो में आग पकड़ ले तो दौड़े–भागें नहीं, बल्कि किसी दरी या कम्बल में शरीर को तब तक लपेटें जब तक आग बुझ न जाए।
2. यदि कपड़ो मे आग पकड़ ले तो जमीन पर लोट लगाएं।

3. यदि त्वचा केवल लाल हो गई है तो उस भाग को ठण्डे पानी में 15 मिनट तक रखें या उस भाग पर पानी से अच्छी तरह भीगा हुआ कपड़ा 15 मिनट तक रखें।

4. यदि त्वचा जल गयी है। और फफोले पड़ गए हों तो फफोले मत फोड़िये, जल कर चिपके हुए कपड़ों को मत हटाइए और दवा मत लगाइए। जले हिस्से को चिपके हुए कपड़ों सहित दूसरे साफ कपड़े से ढक दें या पट्टी बांध दें।

5. जितना शीघ्र हो सके जले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करे।

सांप काटने का प्राथमिक उपचारः–

1. सांप काटने पर कोमल रबर या साफ कपड़े से घाव के ऊपर का हिस्सा बांधिए। कटे हुए अंग को लटका कर रखें। बधें हुए कपड़े को हर 15 मिनट बाद एक मिनट के लिए ढीला करके फिर बांधे।

2. घावं का निरीक्षण करिए। यदि विषदंत के निशान नहीं है। तो सांप विषैला नहीं है। यदि निशान है। तो तुरन्त अस्पताल ले जाकर एण्टी–वेनम सिरम इंजेक्शन लगवाएं।

3. यदि व्यक्ति को अस्पताल ले जाना संभव नहीं है। तो घाव को एंटीसेप्टिक या पोटैशियम परमैंगनेट से धुले चाकू या ब्लेड को गरम करके निर्जर्मित करें और घाव पर लगभग आधा इंच काटे। यदि रक्तस्राव हो रहा है। तो ठीक है। नही तो घाव से खून को खीचकर निकालें। खून के साथ विष भी खिंच आएगा।अब घाव पर दवा या फाहा रखकर पट्टी बांधे।

बिच्छू काटने का प्राथमिक उपचारः–

1. जिस स्थान पर डंक लगा हो और वहां दर्द हो रहा हो तो फफोले पड़ सकते है। तथा पसीना और कंपकंपी हो सकती है। एंटीहिस्टामाइन मरहम,हल्का अमोनिया या सोडियम बाइकार्बोनेट का गाढ़ा घोल पर लगाया जा सकता है।

2. पीड़ा होने पर डॉक्टर घाव पर एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा सकता है।

3. पीड़ित व्यक्ति को दो एस्प्रिन, गरम पेय के साथ दीजिए और उसके शरीर को गरम रखने की कोशिश करिए।

हड्डी टूटने का प्राथमिक उपचारः–

1. यदि जरूरत न हो तो टूटे अंगो को हिलाएं नहीं ।

2. स्पिलट या खपच्ची का प्रयोग करके टूटे अंग को शरीर से कसकर बांधिए।

3. पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए उचित वाहन तथा मजबूत स्ट्रेचर का प्रयोग करिए।

4. पैर की हड्डी टूटने पर व्यक्ति को कंधे से सहारा देकर उपचार–केन्द्र तक पहुंचाने का प्रयास करे।

आंख में कोई वस्तु गिरने पर प्राथमिक उपचारः–

1. रोगी को आंख मलने से रोकिए।
2. रोगी की आंख पर पानी के छींटे मारिए।
3. यदि कोई वस्तु आंख मे पड़ीं दिखई दे रहीं हो तो उसे साफ रूमाल या गीली रूई के फाहे से निकालने की कोशिश कीजिए।
4. यदि वस्तु बाहर न निकले तो आंखों पर पट्टी बांधकर डॉक्टर के पास रोगी को ले जाए।
5. यदि वस्तु पलक के नीचे है। तो पलक को बालो से पकड़कर खीचिए व दूसरी पलक तक लाकर छोड़िए। इससे वस्तु आप हट सकती है।
6. आंख को धूल,धुआ व धक्के से बचाकर रखे।

रक्तस्राव का प्राथमिक उपचारः–

1. सर्वप्रथम रक्तसाव वाले स्थान को किसी वस्तु के सहारे ऊंचा उठाएं।
2. रक्तसाव रोकने के लिए पट्टी या पतले रबर का प्रयोग करें।
3. रोगी का शरीर गरम रखने का प्रयास करे।
4. यदि रोगी को रक्तस्राव के कारण बेहोशी आ रही हो तो उसे गरम चाय या दूध आवश्यकतानुसार देना चाहिए।

तेजाब पीने के बाद प्राथमिक उपचारः–

1. रोगी को उल्टी नही कराना चाहिए क्योकि उल्टी कराने से आमाशय में छेद हो सकता है।
2. रोगी को ढीले वस्त्र पहनाएंगे।
3. रोगी को अधिक मात्रा में दूध, अण्डे की सफेदी, चावल का पानी आदि पीने को दीजिए।

4. रोगी के सूजे गले का गरम सेक देंगे।

शॉक लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचारः–

किसी व्यक्ति का शॉक लगने के लक्षण निम्न हो सकते है।

- बहुत धीमी या बहुत तेज नाड़ी चलना।
- ठण्डी, नम या चिपचिपी त्वचा
- उनींदापन या बेहोशी
- चेहरा होंठ या नाखून पीला पड़ना।
- मिचली आना या कब्ज होना

क्या करेः–

1. रोगी को गरम सतह पर लिटाएं और आराम करने दें।
2. तत्काल एम्बुलेंस बुलाएं।
3. एम्बुलेंस आने तक खून को बहने से रोकने की कोशिश करें।
4. रोगी के पैर लगभग एक फुट ऊपर उठाकर रखे।
5. रोगी के कपड़े ढीले कर दें।
6. प्यास लगने पर रोगी को पानी न दे, सिर्फ उससे होंठों को तर करें।
7. खुली हवा चारों ओर से आने दें।
8. आवश्यकता पड़ने पर रोगी को कृत्रिम सांस देना चाहिए।
9. कृत्रिम सांस देना चाहिए।

अध्याय–9

DDMP कार्य योजना के लिए वित्तीय संसाधन

(Financial Resources for implementation of DDMP)

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–

क्र0	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त	वित्तीय प्रबंधन
1	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्ष, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण	विभागो/ शासन से धन बंटाकर
2	पुलिस अधीक्षक	चिन्हित स्थलों पर वायरलेस सेट की व्यवस्था करना।	खोज, बचाव, राहत कार्यो में सहयोग करना। बंधो की सुरक्षा, पेट्रोलिंग।	शरणालयों में पुलिस प्रबन्ध।	
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चत करना।रोगो पर सतर्क दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि के साथ भेजना	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करना। प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। राहत शिविरो/ शरणालायों पर चिकित्सा व्यवस्था।	चिकित्सा विभाग द्वारा
4	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता,प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपातकालीन	आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा कक्ष खोलना, राहत सामग्री,	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितो /मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिग आदि	राहत/श्वसन

		कन्ट्रोम रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।		कार्य।	
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जनजागरूकता प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों मृतको आदि की सूची कारण, रिपोर्टिग आदि कार्य।राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।	श्वसन
6	जल निगम	बाढ़ से बचाव हेतु अपने जल श्रोतो एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल श्रोतो की मरम्मत।	सिंचाई विभाग जल निगम
7	कृषि विभाग	—	—	फसलों की क्षति का मूल्यांकन कृषको को अगैती/वैकल्पिक फसलों की बीज/सुझाव आदि उपलब्ध कराना	कृषि विभाग
8	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।		परिवहन विभाग
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पो एवं एल0पी0जी0 गोदामों	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।	खाद्य एंव रसद विभाग

		पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	सुरक्षित करना।		
10	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्पसमय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यो में मदद करना।	–
11	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान।	—
12	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओ कैम्पो पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।	पशु चिकित्सा विभाग
13	बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	बाढ़ क्षेत्र के स्कूलों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर देंगें तथा विद्यालयों को शरणालय के रूप में इस्तेमाल करने हेतु उपलब्ध करायेगे।		–
14	बाढ़ खण्ड	बन्धो का अनुश्रवण, आवश्यक सामग्री का पूर्व से भण्डारण, पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना।	बन्धें की सुरक्षा हेतु नियमित पेट्रोलिंग नियमित जलस्तर एवं पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना।	क्षतिग्रस्त बन्धे के मरम्मत/पुर्ननिर्माण की व्यवस्था करना।	सिंचाई करना
15	विकास विभाग	–	–	आवसहीन को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	नियोजन विभाग

अध्याय–10
जिला आपदा प्रबन्ध समिति के अनुरक्षण की समीक्षा हेतु प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली

(Procedure and methodology for monitoring evaluation, updation and maintenance of DDMP)

क्र0	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जन सहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण।
2	पुलिस अधिक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनो की उपलब्धा सुनिश्चित करना। अभिसूचना एकत्रिकरण सैन्य/अर्द्व सैनिक बलो से समन्वय।	खोज, बचाव, राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्वस्था, ट्रैफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबंदी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकता सैन्य/अर्द्व सैन्य बलों की मांग। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालो का चिन्हीकरण एवं समन्वय।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत दल को राहत किट, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रो को विसक्रमित करना। परीक्षण हेतु नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना।राहत शिविरो/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।

4	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास। आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/ मृतको आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिग आदि कार्य।
5	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जनजागरूकता प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देनां। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यक्यितयों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतक ो आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिग आदि कार्य।
6	जल निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने श्रोतेा एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतो की मरम्मत।
7	विधुत विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/ संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विधुत केन्द्रो पर अवांछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोके तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विधुत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विधुत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण।

8	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	–
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पो एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्पसमय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यो में मदद करना।
11	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान।
12	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओ कैम्पो पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

मानवजनित आपदाओं में मुख्य रूप से रेल–बस व उद्योग कारखाने आदि के द्वारा सम्भावित दुर्घटनाएं यदा–कदा घटित हो जाती है।

1. **रेल दुर्घटना–**रेलवे में दुर्घटना होने पर दुर्घटना की गम्भीरता के अनुरूप स्थानीय रेलवे व सिविल अधिकारियों /कर्मचारियों को एवं मण्डल स्तर के रेल अधिकारियों को दुर्घटना होने, उसकी स्थिति एवं उससे निपटने में आवश्यक सहयता विवरण के साथ अवगत कराया जाता है। इस मण्डल फैजाबाद व लखनऊ स्टेशनों पर दुर्घटना राहत गाड़ी व मेडिकल वाहन की व्यवस्था है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है। वहाँ उस स्तर की राहत गाड़ी/मेडिकल वाहन मण्डल प्रशासन द्वारा दुर्घटना स्थल पर भेजा जाता है। इस प्रकार यथाशीघ्र सामान्य संचालन चालू कराया जाता है। जनपद सुलतानपुर में रेलवे लाइन 105 किमी0 क्षेत्र के अन्तर्गत है एवं हाल्ट सहित कुल स्टेशनों की संख्या वर्तमान समय में 11 है।

2. **बस दुर्घटना–** सड़क दुर्घटना के अन्तर्गत ट्रक, बस, जीप, कार, मोटर साईकिल की दुर्घटनाएं आती है। प्रायः यह देखा जाता हैं कि जीपों के मालिक अपनी जीप ऐसे जीप चालको के जिम्मे सौप देते है। जिन्हे ड्राइविंग का कम अनुभव रहता है। जरूरी कागजात भी उनके पास उपलब्ध नहीं होते। उपसम्भागीय विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाना चाहिए। बहुधा यह देखा गया है। कि मोटरसाइकिलों के चालक हेलमेट का प्रयोग नही करते है और जल्दबाजी में यातायात के नियमों का पालन नही करते जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ जाती है।

बस दुर्घटनाएं भी काफी होती है इनकी गणना करना कठिन है। जबसे परिवहन विभाग द्वारा संविदा पर चालको और बसेा को अनुबन्धित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। तब से इस प्रकार की दुर्घटनाओं में वृद्वि की आंशका और बढ़ जाती है। चालक पूरी तरह दक्ष नही होते और बसों की हालात अच्छी नही होती । यद्यपि परिवहन विभाग इस दिशा मे सजग जरूर रहता है। विभाग द्वारा दुर्घटना में घायल यात्रियों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में उपचार हेतु पहुंचाया जाता है । यदि वाहन ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है। तब उस स्थिति में वाहन में फसे यात्रियों को निकालने के लिये डिपों स्तर से स्टोर ट्रक, आवश्यक टूल के साथ मैकेनिक भेजे जाते है। जो गैस कटर आदि का इस्तेमाल करके वाहन में फंसे यात्रियो को निकालते है। दुर्घटना में यदि किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है। तो उसे नो फाल्ट लाइवेल्टी में तत्काल रूपया पचास हजार का भुगतान क्षेत्रीय स्तर से कराया जाता है गम्भीर रू॰ से घायलो को रूपया बीस हजार तथा कम घायलों को पांच हजार रूपया तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। मेजर दुर्घटना के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के घायल होने पर चालक/परिचालक/यात्री या अन्य व्यक्ति दुर्घटना की सूचना दूरभाष से 108 नम्बर तथा निगम की हेल्प लाइन संख्या 18001802877 पर दी जाती है।

बाढ़ आपदा

उद्देश्यः–

इस योजना का उद्देश्य बाढ़ एवंज ल प्लावन से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी रखी जाए जिससे बाढ़ की स्थिति में जन–धन की क्षति कम से कम हो और पीड़ित व्यक्तियों को अबिलम्ब राहत पहुँचाना सम्भव हो सके। इस जनपद से होकर सदर, लम्भुआ और कादीपुर तहसीलों में बहती है। इस नदी में आने वाली बाढ़ ही इस जनपद की मुख्य समस्या है इसके अतिरिक्त तहसील कादीपुर में मझुई नदी मे भी बाढ़ आती है। जिससे सामान्य क्षति होती है। पीली नदी भी लम्भुआ के पूर्वी भाग में कभी–कभी क्षति पहुंचाती है। कुछ बड़े नालों में भी कभी–कभी पानी अधिक आने से किनारे पर बसें गांवों मे मकानों और खेती को हानि पहुंचाती है।

वर्षा ऋतु मे सम्भावित बाढ़ से सुरक्षा और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने के लिए पूर्व तैयारी करने के संबंध मे निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

बाढ़ आने के पूर्व की तैयारी–

जनपद के अर्न्तगत पड़ने वाली सभी कटान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रो, जल भराव उन्मुख तथा पानी की निकासी के क्षेत्रो, कार्य– प्रबंध की जानकारी रखना तथा मानसून आने के पूर्व नालो की सफाई का कार्य सुनिश्चित कराना। बाढ़ चौकियों एवं बाढ़ सुरक्षा केन्द्रो के स्थानों की सार्वजनिक जानकारी कराने की व्यवस्था करना तथा इन स्थानों पर तैनात किये जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियो की सूची व उनके कर्तव्यों का निर्धारण और इन केन्द्रो पर जीवन उपयोगी वस्तुओं व दवाइयों की मांग का निर्धारण, प्राप्ति की व्यवस्था करना और बाढ़ चौकियों व बाढ़ सुरक्षा केन्द्रो के लिए आवश्यक मात्रा में नावों की व्यवस्था हेतु नावों व उनके नाविकों की सूची तैयार करना।

बाढ़ के दौरान की जाने वाली व्यवस्था–

बाढ़ के समय प्रायः नावों में अधिक भार लादने से नाव दुर्घटनाएं हो जाती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि नाव पर निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार न हों और निर्धारित क्षमता से अधिक भार न लादा जाए। कटान रोकने के लिए बालू की बोरियों तथा आवश्यक बचत–सामग्री की तत्काल उपलब्धता के प्रबंन्ध व्यवस्था का निर्धारण किया जाए। बाढ़ बचाव कार्यो में विशेष रूप से प्रान्तीय सशस्त्र (पी.ए.सी.) कम्पनियों की सेवाओ का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही सम्पर्क कर लेना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर बिलम्ब की सम्भावना न रहे। बाढ़ सहायता कार्यो में जन सहयोग प्राप्त करने की दिशा में भरसक

प्रयास करन तथा शासन की ओर से किए जाने वाले राहत कार्यो की विस्तृत की व्यापक प्रसारण

3. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों मे यातायात और सूचना भेजने तथा प्रभावित मनुष्यो, पशुओं तथा सम्पत्ति को सुरक्षित स्थान पर हटाने की व्यवस्था करना।

4. तहसील समिति तथा बाढ़ चौकियों तथा शरणालयो में कार्यरत स्टाफ के कार्य का पर्यवेक्षण और निर्देशन।

5. समिति के कार्यो में समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन में सक्रिय सहयोग, सहायता और परामर्श प्रदान करना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निकाले गये व्यक्तियों और पशुओ के पुर्नावास का प्रबन्ध।

शासनादेश के अनुसार इन समितियों के अध्यक्ष जिले में माननीय सांसद/विधायक वर्णमाल के क्रमानुसार होंगे।

1. जनपद स्तर पर बाढ़ से संबंधित कार्यो के सम्पादक एवं सामान्य प्रबन्ध के लिए एक अधिकारी नामित किया जाता है। शासन के वर्तमान आदेशानुसार यह कार्य अपर जिला अधिकारी (वि0 एवं रा0) की देख– रेख में सम्पन्न होती है।

2. बाढ़ से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यो की व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए एक समयबद्व कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जााना चाहिए। साधरणतया यह कार्य मई के अन्त एक जून के प्रथम सप्ताह तक अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिएस। ताकि शासन के आदेशानुसार जिले की बाढ़ योजन मानचित्र के साथ शासन को भेजी जा सके इसके पहले जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक हो जानी चाहिए।

3. सड़को बाढ़ चौकियों तथा संवेदनशील स्थानों का निरिक्षण सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों द्वारा करा लिया जाना चाहिए। तथा सड़को एवं भवनों के मरम्मत का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों तथा अन्य सामग्रियों के अनुमानित आवश्यकता अनुसार सामग्री की आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए।

4. खाद्य सामग्री और चारो आदि की आवश्यकता कर पूर्वानुमान लगाकर उसकी पूर्ति के श्रोत एवं भण्डारण के स्थान निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। सड़को पर जहां कटान की आशंका रही हो वहां बालू की बोरिया ं तथा अन्य सामग्री लो0नि विभाग द्वारा उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका तुरन्त किया जा सके। बाढ़ चौकियों से जोड़ने वाले मार्गे एवं पुलों की मरम्मत प्रत्येक दशा में 15 जून के पहले पूरी कर ली जानी चाहिए।

5. नालों और ड्रेनों की सफाई का कार्य भी 15 जून तक कर लिया जाना चाहिए गांवों और परिवहन संबंधी व्यवस्था भी समय से पहले पूरी करनी आवश्यक है।

6. उपजिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी बाढ़ चौकियों तथा बाढ़ तैयारी संबंधी व्यवस्था करा लें और जो कमियां हों उन्हे जिलाधिकारी की दृष्टि में जून की प्रथम सप्ताह तक लाये। ताकि उन कमियों की पूर्ति की जा सकें।

7. बाढ़ से आसन्न खतरे की सम्भावना उत्पन्न होते ही कलेक्ट्रेट मे एक जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जो बाढ़ प्रभावी क्षेत्रो के नियमित व बराबर सम्पर्क में रहे।

बाढ का जलस्तर 82.00 से 84.00 सेमी0 पर प्रभाव का विवरण

क्र0	तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों का नाम	प्रभावित आबादी	प्रभाव का प्रकार		बाढ चौकी स्थल	बाढ शरणालय
				आंशिक	पूर्ण		
1	2	2	3	4	5	6	8
1	सदर	जज्जौर	1564		पूर्ण	मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
2		खजुहा रूपीपुर	310		पूर्ण	मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
3		सेवरा	1184		पूर्ण	मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
4		गरथौली	621	आंशिक		मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
5		मझावारा	2740	आंशिक		मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
6		मायंग	4584	आंशिक		मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
7		राधवपुर	779	आंशिक		चन्दौर प्रा0प्रा0	धनपतगंज बाजार
8		चन्दौर	3507	आंशिक		चन्दौर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
9		नौगवांतीर	2062		पूर्ण	भण्डरा परसरामपुर	भण्डरा परसरामपुर
10		माधवपुर तीर	313		पूर्ण	मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
11		औदहा	372		पूर्ण	मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
12		सोती	11		पूर्ण	मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
13		मुडुवा	1548		पूर्ण	मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
14		सडांव	993		पूर्ण	मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
15		कुडवार	5354	आंशिक		कुडवार कन्या प्रा0पा0	भण्डरा परसरामपुर
16		भण्डरा परसरामपुर	3266	आंशिक		भण्डरा परसरामपुर	भण्डरा परसरामपुर

17		निजामपट्टी	680		पूर्ण	कस्बा सुलतानपुर वन विभाग	तहसील मुख्यालय
18		वल्लीपुर	496	आंशिक		वल्लीपुर	तहसील मुख्यालय
19		मोलनापुर	343		पूर्ण	कस्बा सुलतानपुर वन विभाग	तहसील मुख्यालय
20		कस्बा सुलतानपुर	1845	आंशिक		कस्बा सुलतानपुर वन विभाग	तहसील मुख्यालय
21		बसौढी	742	आंशिक		कस्बा सुलतानपुर वन विभाग	तहसील मुख्यालय
22		सैदपुर	674	आंशिक		कस्बा सुलतानपुर वन विभाग	तहसील मुख्यालय
23	सदर	सैफुल्लागंज	1907	आंशिक		कस्बा सुलतानपुर वन विभाग	तहसील मुख्यालय
24		धर्मदासपुर	1202	आंशिक		धर्मदासपुर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
25		फतेहपुर	773	आंशिक		हलियापुर	धनपतगंज बाजार
26		प्रतापपुर	1405	आंशिक		भण्डरा परसरामपुर	भण्डरा परसरामपुर
27		कमनगढ	640	आंशिक		आनन्द निकेतन नर्सरी स्कूल	तहसील मुख्यालय
28		कबरी	617	आंशिक		रामनगर नर्सरी स्कूल(आद्याप्रसाद सिंह के मकान का एक कमरा)	तहसील मुख्यालय
29		रामनगर	669	आंशिक		रामनगर नर्सरी स्कूल(आद्याप्रसाद सिंह के मकान का एक कमरा)	तहसील मुख्यालय
30		छावनी सदर	2692	आंशिक		आनन्द निकेतन नर्सरी स्कूल	तहसील मुख्यालय
31		गोडवा	949	आंशिक		कटावां प्रा0पा0	तहसील मुख्यालय
32		करौंदिया	974	आंशिक		आनन्द निकेतन नर्सरी	तहसील मुख्यालय

						स्कूल	
33		गौराबरनपुर	342	आंशिक		मायंग सह0 बीज भण्डार	धनपतगंज बाजार
34		बरियौना	1163	आंशिक		र्धमदासपुर प्रा0पा	धनपतगंज बाजार
35		सरायगोकुल	1407	आंशिक		धर्मदासपुर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
36		ढखवा	1529	आंशिक		रामनगर नर्सरी स्कूल(आद्याप्रसाद सिंह के मकान का एक कमरा)	तहसील मुख्यालय
37		माधवपुर	562	आंशिक		केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
38		ब्राहिमपुर	659	आंशिक		केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
39		सरैयामाफी	882	आंशिक		मायंग सह0 बीज भण्डरा	धनपतगंज बाजार
40		गोविन्दपुर मकदूमपुर	401	आंशिक		केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
41		केवटली	1306	आंशिक		केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
42		अजीजपुर	293	आंशिक		केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
43		बरासिन	2072	आंशिक		केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
44		उपाध्यायपुर	142	आंशिक		केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
45		आमकोल	607	आंशिक		कस्बा सुलतानपुर वन विभाग	तहसील मुख्यालय
46		अंगनाकोल	733	आंशिक		कस्बा सुलतानपुर वन विभाग	तहसील मुख्यालय
47		पटना	1236	आंशिक		धर्मदासपुर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
48		सरवन	1113	आंशिक		महमूदपुर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
49		महमूदपुर	2535	आंशिक		महमूदपुर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
50		इटकौली	1181	आंशिक		प्रा0पा0 सैफुल्लागंज	तहसील मुख्यालय
51		टीकर	1573	आंशिक		मायंग सह0 बीज भण्डार	तहसील मुख्यालय
52		माधवपुर आचार्य	732	आंशिक		केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार

53		खाजापुर	451	आंशिक		केवटलीपुर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
54		बसन्तपुर तिवारीपुर	957	आंशिक		चन्दौर प्रा0पा0	भण्डरा परसरामपुर
55		कटावां	2692	आंशिक		कटावां प्रा0पा0	तहसील मुख्यालय
56		हथियानाला	812	आंशिक		आनन्द निकेतन नर्सरी स्कूल	तहसील मुख्यालय
57		प्रयागपट्टी	341	आंशिक		आनन्द निकेतन नर्सरी स्कूल	तहसील मुख्यालय
58		पिपरी	2164	आंशिक		कुडवार कन्या प्रा0पा0	भण्डरा परसरामपुर
59		पूरे रिखी	224	आंशिक		कुडवार कन्या प्रा0पा0	भण्डरा परसरामपुर
60		मिठनेपुर	493	आंशिक		कुडवार कन्या प्रा0पा0	भण्डरा परसरामपुर
61		ग्रन्ब्ट कुडवार	563	आंशिक		कुडवार कन्या प्रा0पा0	भण्डरा परसरामपुर
62		कोटा	1157	आंशिक		कुडवार कन्या प्रा0पा0	भण्डरा परसरामपुर
63		उपाध्यायपुर	175	आंशिक	पूर्ण	केवटली प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
64		रतापुर	663	आंशिक		धर्मदासपुर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
65		तिरछे	392	आंशिक		भण्डरा परसरामपुर	भण्डरा परसरामपुर
66		सराय गोकुल	1407	आंशिक		धर्मदासपुर प्रा0पा0	धनपतगंज बाजार
67	जयसिंह पुर	सिरवारा	1070	आंशिक		गोंशाइगंज जू0हा0स्कूल	तहसील मुख्यालय
68		शरीफपुर	302	आंशिक		गोंशाईगज जू0हा0स्कूल	तहसील मुख्यालय
69		कोल्हुआमऊ	549	आंशिक		बेलहरी इ0कालेज	तहसील मुख्यालय
70		बेलहरी	3126	आंशिक		बेलहरी इ0कालेज	तहसील मुख्यालय
71		अमिलिया विसुही	454	आंशिक		बेलहरी इ0कालेज	तहसील मुख्यालय
72		बहाउद्दीनपुर	1455	आंशिक		बेलहरी इ0कालेज	तहसील मुख्यालय
73		गोरेगांव	1093	आंशिक		बेलहरी इ0कालेज	तहसील मुख्यालय

74		ककवादपुर	246	आंशिक		बेलहरी इ0कालेज	तहसील मुख्यालय
75		काछा भिटौरा	2650	आंशिक		दियरा	तहसील मुख्यालय
76		खैरहा	1110	आंशिक		दियरा	तहसील मुख्यालय
77		दियरा	3897	आंशिक		दियरा	तहसील मुख्यालय
78		नानेमऊ	3855	आंशिक		दियरा	जयसिंहपुर
79	लम्भुआ	शिवपुर	426	आंशिक		शिवपुर	मोतीलाल इ0का0 प्रतापपुर कमैचा
80		वाजिदपुर	427	आंशिक		शिवपुर	मोतीलाल इ0का0 प्रतापपुर कमैचा
81		सलाहपुर	125	आंशिक		बभनगवां	रा0 बालिका वि0 भदैया
82		सखौली खुर्द	400	आंशिक		जमखुरी	जू0हा0स्कूल शाहगढ
83	कादीपुर	बहाउदद्दीनपुर	1474	आंशिक		गुदरा	उ0प्रा0वि0 गोपालपुर नमाजगढ
84		शोधनपुर	733	आंशिक		गुदरा	उ0प्रा0वि0 गोपालपुर नमाजगढ
85		बरवारीपुर	2945	आंशिक		राईबीगो	उ0प्रा0वि0 गोपालपुर नमाजगढ
86		गोपालपुर नेवाजगढ	2216	आंशिक		कादीपुर खुर्द	उ0प्रा0वि0 गोपालपुर नमाजगढ
87		भटौती तुलसीपट्टी	901	आंशिक		कटघर पूरे चौहान	उ0प्रा0वि0गोपालपुर नमाजगढ

विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस प्राकृतिक रूप से फसल, पशु एवं मानव को महामारी के रूप में क्षति पहुंचाते है। युद्व में शत्रु और आतंकवादी भी इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि का प्रयोग करके आपदा जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते है। भौगोलिक सीमाओं से परे ये मानव से मानव में, पशुओ से मानव में और फसलों से मानव मे फैल सकते है।

एन्थ्रेक्स, छोटी चेचक, प्लेग, स्वाइन फ्लू, एड्स, कालरा आदि इसके उदाहरण है। लगभग 17 देश जैविक हथियारो पर काम कर रहे। है।कई छोटे बड़े आतंकवादी गुटो के पास भी जैविक हथियार होने का अनुमान है। कोई भी व्यक्ति, पशु–पक्षी या पेड़–पौधा प्राकृतिक रूप से ये रोग फैला सकते है। यह जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते है। भारतीय सन्दर्भ में इसके खतरे के क्षेत्र चिन्हित करने में ध्यातव्य विन्दु है।

1 रेगिस्तानी, हिमालयी क्षेत्रो में सैन्य ठिकानों पर हमले की आशंका कम है। किन्तु नौ सेना बेस या ऐसा मिलिट्री/नागरिक ठिकानो जो भौगोलिक रूप से पृथक हो निशाना बनाया जा सकता है।

2 आतंकवादी एन्थ्रेक्स जैसा जैविक हथियार नागरिक क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकते है।

3 बर्ड फ्लू से पोल्ट्री उद्योग को व्यापक क्षति पहुंची। साथ ही मनुष्यों को शारीरिक क्षति और परेशानी हुई। इस प्रकार कृषि उत्पाद और पशु–पक्षी भी निशाना बनाए जा सकते है। Prtheniumysteraphrus, 50 के दशक में गेंहू के साथ आया और फसलो को बहुत क्षति पहुंचायी।

4 शहरी क्षेत्रो में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व इस प्रकार के रोगो की स्थिति में आतंक के साथ ही रोग के वास्तविक फैलाव में अहम् है। जैसे 1994 में सूरत में फैल प्लेग रोग।

इसका असर दो प्रकार से हो सकता है। एन्थ्रेक्स की श्रृंखला नहीं बनती, जबकि छोटी चेचक, प्लेग की श्रृंखला बनती है।

निरोधात्कम उपाय

क्षमता, मानव संसाधन विकासः– प्रशिक्षण, तमतिमी बवनतेमेए नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था तथा प्रशिक्षित व्यक्ति इस स्थानों के लिए। शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। सभी प्रशिक्षण छद्म प्रदर्शन/ अभ्यास पर केन्द्रित होना चाहिए तथा जन सहभागिता जागरूकता एवं प्रशिक्षण के साथ ही इस बिन्दु पर भी केन्द्रित होना चाहिए। कि किसी भी तरह उत्तेजना/अफवाह न फैलने पाये। सावधानियां एवं रहन–सहन, मृत्यु की दशा में निस्तारण आदि का व्यापक प्रचार प्रसार।

1 हर स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क तथा जिला स्तर पर निदान केन्द्र/प्रयोशालाओं का केन्द्रीकृत व्यवस्था की तरह विकास किया जाना होगां।

- ग्राम से जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर तक उपयुक्त फार्मेट में सूचना आदान–प्रदान व्यवस्था।

- नियंत्रण कक्ष, पर्याप्त सूचनाओं, संसाधनों और स्टॉफ के साथ।

2 **प्रशिक्षण एवं शिक्षा–**सभी स्टॉफ को पर्याप्त प्रशिक्षण, प्राकृतिक और आतंकी रोग में अंतर करने की क्षमता आदि होनी चाहिए।

3 **जन जागरूकता एवं सहभागिता–** क्या करें/न करें की शिक्षा, जिसमें सफाई, खान पान आदि तथा सूचनाओं का उचित रूप से पहुंचाने हेतु निर्दिष्ट करना और सरकारी संगठनों का सहयोग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। स्कूल–ड्रामा, प्रतियोगिता, पेन्टिंग आदि द्वारा जागरूकता फैलायी जा सकती है।

4 **चिकित्सा मुख्य रू॰ से अस्पतालो में होगी। इस कारण अस्पतालों की सूक्ष्म योजना तैयार होनी चाहिए।**

5 **प्रयोगशालाओं का नेटवर्क–** वर्तमान प्रयोगशालाओ को सशक्त करना होगा और जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर रोगो की पहचान आदि के लिए प्रयोगशालाओ की स्थापना भी करनी होगी।

राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओ की स्थापना समय की मांग है।

1. जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं जो रोग के कारण का पता लगा सके।

2. मेडिकल कालेज स्तर पर प्रयोगशालाएं– रोग निदान को सुनिश्चित करने एवं संदेह की स्थिति में गाइड करने हेतु।

कृषि क्षेत्र में आपदा–प्रबंधन

कृषि एवं खाद्य उद्योगो में प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त जानबूझकर आतंकी गतिविधियां की जा सकती है। क्षतिकारक कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस के अतिरिक्त खाद्य पदार्थो को भी जहरीला बनाया जा सकता है। आंतकी दृष्टि से यह अन्य हमलों से खतरनाक है।

वर्ष 1943 में कोट्टयम (केरल) में केले के पौध में एक रोग ठनदबील ज्वचद्व श्रीलंका से आया और धीरे–धीरे असम, तमिलनाडू आदि प्रदेशों में फैल गया। प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय न होने से इसका बहुत खराब असर पड़ा और कुछ क्षेत्रों से केले की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी।

वर्तमान तैयारीः– कृषि मंत्रालय के अधीन देना में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई एवंज ल अड्डो पर 29 Plant Quarantine केन्द्र है। जो आयातित अनाज, बीज और अन्य कृषि उत्पादो की जांच करते है। किन्तु इनमें से कुछ के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है।

भविष्य के लिए एक आपातकालीन केन्द्र बनाना होगा जो इस प्रकार की परिस्थितयों में समन्वय का काम करें। कोई आपात स्थिति न होने की दशा में यह निगरानी और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर कार्य कर सकता है। यह केन्द्र अति सुरक्षित होना चाहिए तथा संवाद की आत्याधुनिक सुविधाएं भी इसमें होनी चाहिए।

2 विभिन्न संस्थाओं की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था जो इस तरह की आपातिक सिथित से निबटने में कुछ डवकमस विकसित करे।

3 विद्यमान आपातिक संचारत्पन्न, स्वास्थ्य तंत्र, प्रेस मीडिया तथा छलशे का नेटवर्क बनाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जोड़ना।

4 हर स्तर पर मेडिकल प्लानिंग, चिन्हित अस्पतालो को न्वहतंकम करना, मोबाइल टीमें विकसित करना, इन बस में पर्याप्त दवाएं, सुसज्जित स्टॉफ आदि।

5 चिन्हित क्षेत्रों में सूचना प्राप्त होने पर पानी, भोजन, स्वच्छता– सामग्री आदि की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था।

6 मनुष्यो, पशुओं एवं फसलों पर प्रभाव के आंकलन एवं उससे निबटने के वैकल्पिक उपायों का विकास। वैकल्पिक आवास, परिवहन, चारा/भोजन संग्रह।

बचाव

सर्वप्रथम बचाव की बात आती है। बचाव के विभिन्न पहलू है–

1 सम्बेदनशीलता का परीक्षण एवं खतरे का मूल्यांकन– विद्यमान रोग जो महामारी की रूप ले सकते है। या फिर से फैल सकते है। या जानवरों के रोग जो मनुष्य में हो सकते है कि जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान/स्थान पर प्रवेश में सावधानी तथा लक्षण प्रकट होने पर गहन पर्यवेक्षण आवश्यक होगा। जानबूझ कर ऐसे रोग फैलाने/युद्व/आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर प्रतिरोध/ पूर्व से ही प्रत्याक्रमण द्वारा रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है।

2 पर्यावरण सुरक्षा– पानी के श्रोतो पर सतत निगरानी होनी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सफाई, रोग वाहक वायरस– नियंत्रण, शव निस्तारण आदि भी महत्वपूर्ण बिन्दु है। रोगवाहन वायरस/मक्खी, मच्छर नियंत्रण के लिए उनके उत्पादन स्थान पर सफाई, फैगिंग आदि की जा सकती है।

3 आपदा के बाद महामारी की रोकथाम–किसी आपदा के बाद महामारी की आशंका/संभावना अधिक रहती है।

4 एकीकृत रोग गिरानी व्यवस्था। **(IDSP-Integrated Disease Surveillance System)**- वर्तमान व्यवस्था को पूरे देश में फैलाना होगा। निरन्तर आंकड़ो का आदान–प्रदान एव उनका विश्लेषण जरूरी होगा।

5 टीकाकरण– ऐसी दवाएं और उनका उत्पादन करने वाली संस्थाएं चिन्हित कर उनका उत्पादन और टीकाकरण का कार्य करना होगा।

6 स्कूल, कालेज बंद करना, मेला आदि पर रोक, कार्यालय, सिनेमा हाल बंद कर काफी हद तक रोगों को प्रसार को विलम्बित किया जा सकता है।

1 **क्षमता विकास**—केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर एकीकृत निर्देशन व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्याय–11

DDMP के क्रियान्वयन हेतु समन्वय तंत्र

(Coordination Mechanism for implementation of DDMP)

सरकार द्वारा इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये है :–

1. भूकम्प के जोखिम को कम से कम करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन।
2. भवन निर्माण के नियमों की समय–समय पर जांच पड़ताल करना और नियमों की सख्ती से पालन करवाना।
3. राज्यों में आपातकाल की स्थिति में काम करने वाली इकायों का गठन।
4. भवन निर्माताओं और इंजीनियरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना।
5. देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले राजमिस्त्रियों को मानकों के अनुसार मकान बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना। शहरी क्षेत्रों में भी भूकम्परोधी निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण करना।
6. स्कूलों और कालेजों में भूकम्प इंजीनियरिंग को पाठयक्रम में सम्मिलित करना।
7. चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अस्पताल में आपातकालीन तैयारियां करने की शिक्षा देना।
8. पुराने बने हुए भवनों की समय–समय पर जांच पड़ताल करना।

   इन कार्यों के लिए सरकार में 1132 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। योजना आयोग में इसे मंजूरी दे दी है। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से भूकम्प संभावित चार और पांच की श्रेणी में आने वाले क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों, स्कूलों, हवाई अडडों, रेलवे स्टेशनों, और सार्वजनिक भवनों को शामिल किया गया है।
9. शहरी क्षेत्रों में भूकम्प से कम क्षति हो, इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाना।
10. देहाती क्षेत्रों में होने वाले निर्माणों में भूकम्प से सम्बन्धित मानकों का समावेश।
11. भूस्खलन वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय कोर ग्रुप का गठन।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना। राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावीा अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितो/मृत कों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिग आदि कार्य।
2.	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जनजागरूकता प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देनां। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यक्यितयों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृत को आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिग आदि कार्य।
3.	जल निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतो एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रामित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल श्रोतो की मरम्मत।

अध्याय–12

आदर्श संचालन प्रक्रिया एवं चेकलिस्ट

(Standard Operating Procedures (SOPs) and checklist)

आपदा से निपटने के लिए standard Operation Procedures (SOP) **इस प्रकार है।**

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण :–

क्रमांक	अधिकारी / संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1.	कलेक्टर / जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण, जन सहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।
2.	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों / संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रासायनिक पदार्थों के भण्डारण, परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्र करनां	खोज, बचाव, राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक हेतु आवश्यक, पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन, क्षेत्र की घेरेबन्दी, शरणालय / राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य / अर्द्ध सैन्य बलों की मांग। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हींकरण एवं रामन्वय।	घटना स्थल पर त्वरित गति, से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा। उपलब्ध करना। प्रभावित क्षेंत्रों को विसंक्रमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों / शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से

			करना।	शव निस्तारण।
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था।	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
5.	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हींकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य।
6.	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण।	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्त्रोत संक्रमित पेयजल को विसंक्रमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेगा।	युद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्त्रोंतों की मरम्मत।
7.	विद्युत विभग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवांछनीय व्यक्तियों को	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण।

		प्रवेश से रोकें तथा ऐसी किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	
8.	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रांसपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना।	मांग अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9.	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हींकरणं। पेट्रोलपम्पों एवं एल0पी0जी0गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0की उपलब्धता का चिन्हींकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, प्रेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध करानां
10.	फायर ब्रिगेड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यों में मदद करना।
11.	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास।आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय।	मीडिया से समन्वय।
12.	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना।	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

जनपद–सुलतानपुर में गैस एजेन्सियों का विवरण

क्र0	गैस एजेन्सियों का नाम	गैस कम्पनी का नाम	फोन नम्बर
1.	मे0अमेठी गैस सर्विस नगर, सुलतानपुर।	एच0पी0सी0	9415137477
2.	मे0 हिन्दुस्तान गैस एजेन्सी नगर, सुलतानपुर।	एच0पी0सी0	9415046189
3.	मे0 सुलतानपुर गैस सर्विस नगर, सुलतानपुर	एच0पी0सी0	9415046017
4.	मे0 रूद्र गैस सर्विस नगर, सुलतानपुर	एच0पी0सी0	9125914567
5.	मे0इण्डेन पुलिस लाइन गैस सर्विस, सुलतानपुर	आई0ओ0सी0	
6.	मे0 नारायन भारत गैस सर्विस कादीपुर, सुलतानपुर	बी0पी0सी0	9415137412
7.	मे0 इण्डेन गैस सर्विस कूरेभार, सुलतानपुर	आई0ओ0सी0	9415056935
8.	मे0 कमला इण्डेन गैस सर्विस कुड़वार, सुलतानपुर	आई0ओ0सी0	
9.	मे0इण्डेन गैस सर्विस दोस्तपुर, सुलतानपुर	आई0ओ0सी0	9839819245
10.	मै0 शिवालय इण्डेन गैस सर्विस कोइरीपुर, सुलतानपुर	आई0ओ0सी0	9453646432
11.	मे0 दिनेश एच0पी0ग्रामीण गैस वितरक, जयसिंहपुर	एच0पी0सी0	9918240271
12.	मे0 मझवारा भारत गैस सर्विस प्रो0 धीरेन्द्रराज सिंह	बी0पी0सी0	9415056627
13.	मे0 राकेश गैस सर्विस भारत गैस सर्विस, सुलतानपुर	बी0पी0सी0	9415627707
14.	मे0 श्याम गैस सर्विस हलियापुर, बल्दीराय, सुलतानपुर	एच0पी0सी0	9450487272
15.	मे0 मालती गैस सर्विस राजेद्रनगर करौंदीकला, सुलतानपुर	बी0पी0सी0	9450772042
16.	मे0 इण्डेन गैस बरूआरीपुर, सुलतानपुर	आई0ओ0सी0	

जनपद–सुलतानपुर में पेट्रोल पम्प का विवरण

क्र0	पेट्रोल पम्प का नाम	कम्पनी का नाम
1	मे0आईडियल फिलिंग स्टेशन पारा पीढ़ी बाजार सदर, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
2	मे0गोल्डेन फिलिंग स्टेशन गोराबारिक, अमहट, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
3	मे0 किसान सेवा केन्द्र कोरौ धनपतगंज, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
4	मे0 किसान सेवा केन्द्र, गंगेव डोमनपुर, जयसिंहपुर, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
5	मे0 किसान सेवा केन्द्र राजापुर कुड़वार, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
6	मे0 राज फिलिंग स्टेशन रवनियां, पूरब सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
7	मे0 अवध फिलिंग स्टेशन गभड़िया, सुलतानपुर	एस्सार
8	मे0 अनन्या फिलिंग स्टेशन, आमकोल, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
9	मे0 वीरूपाक्षा फिलिंग स्टेशन धम्मौर, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
10	मे0 किसान सेवा केन्द्र देहुलाखोर अखण्डनगर, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
11	मे0उमाशंकर किसान सेवा केन्द्र राघवपुर कूरेभार, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
12	मे0शिवालय फिलिंग स्टेशन पयागपट्टी कुड़वार रोड, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
13	मे0कुवर फिलिंग स्टेशन पयागपट्टी कुड़वार रोड, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
14	मे0के0बी0एस0 पेट्रोलियम अमहट, सुलतानपुर	एच.पी.सी.
15	मे0त्रिलोकीनाथ पाठक फिलिंग स्टेशन बुढ़ाना, कादीपुर, सुलतानपुर	बी.पी.सी.
16	मे0 दुर्गा फिलिंग स्टेशन मंगरावां, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
17	मे0 प्रसाद फिलिंग स्टेशन मंगरावां, सुलतानपुर	बी.पी.सी
18	मे0 हाजी मकसूद फिलिंग स्टेशन आमकोल,सुलतानपुर	एच.पी.सी.
19	मे0 ठाकुर राज नारायण किसान सेवा केन्द्र हेमनापुर, इसौली, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
20	मे0 कमला देवी ऑटोमोबाइल, पयागीपुर, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
21	मे0 अंकित प्रेट्रोलियम सौरमऊ, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.

22	मे0 शहीद दिवाकर फिलिंग स्टेशन, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
23	मे0 उपाध्याय किसान सेवा केन्द्र शाहपुर, सुलतानपुर	आई.ओ.सी.
24	मे0 युगराज एच0पी0 इटकौली गोसाईगंज, सुलतापुर	एच.पी.सी.

जनपद में स्थिति नर्सिंग होम का विवरण

क्र0	जनपद में स्थापित हास्पिटल/नसिंग होम का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम के संचालक का नाम	हास्पिटल/नर्सिंग होम का स्थान	मेबाइल नम्बर
1.	भगत हास्पिटल	श्रीमती मंजू भगत	कुड़वार नाका पार्वतीपुरम् सुलतानपुर	053623–229028
2.	अमन हास्पिटल	श्री डा0 सुहेल अमहद	गभाड़िया सुलतानपुर	9415128000
3.	राहत हास्पिटल	श्री रफीउद्दीन	सेन्टर, अखण्डनगर रोड, बढ़ौली, दोस्तपुर, सुलतानपुर	9918329950
4.	रामकलप मिश्रा होम्योपैथिक चिकित्सालय	श्री रामकलप मिश्रा	बांगरखुर्द, कादीपुर सुलतानपुर	
5.	सुमन हास्पिटल	श्रीमती सुमन सिंह	गोमतीनगर,गोलाघाट कस्बा सुलतानपुर	9415046400
6.	लकी हास्पिटल	श्रीमती सरोज श्रीवास्तव	कुड़वार रोड जी0आई.सी0 फील्ड, कुड़वार सुलतानपुर	9415185202
7.	गोमती हास्पिटल	श्रीमती पल्लवी शर्मा	गोमतीनगर, पूर्व फैजाबाद रोड सुलतानपुर	05362–241406
8.	अभयराज आर्वेदिक चिकित्सालय	श्री तीर्थराज सिंह	शम्भूगंज, बाजार पोस्ट–हड़हा, सुलतानपुर	
9.	प्रभु श्रीकृष्ण मिशन अस्पताल एवं बी.पी.पी. मेमोरियल आर्युदिनक अनुसंधान सेन्टर	श्री डा0 रामअवध	कूरेभार, बाजार सुलतानपुर	
10.	धर्मा चिकित्सालय	श्री डा.आर.के कनौजिया	प्यारेपट्टी रोड पौधशाला, सुलातनपुर	9838001919
11.	संध्या हास्पिटल	श्री डा. रिऋकेश मजुमदार	अखण्डनगर, रोड दोस्टपुर, सुलतानपुर	7897773555
12.	नवीन हास्पिटल	श्री रईस अहमद	1167/1 मो0 जेल रोड गोराबारिक, गभाड़िया सुलतानपुर	9919057970

13.	आयुष्मान हास्पिटल	श्रीमती गरिमा सिंह	हा.नं. 1703, खैराबाद, सुलतानपुर	7860002666
14.	गीता हास्पिटल	श्रीमती गीता सिंह	1248/5 नेहरूनगर, दरियापुर, सुलतानपुर	9415359111
15.	हंसा हास्पिटल	श्री राजेश कुमार सिंह	1562, नवीपुर, सुलतानपुर	9839129443
16.	ज्सलोक नर्सिंग होम	श्रीमती कंचन शुक्ल	नवीपुर,लोहरामऊ रोड सुलतानपुर	9161363319
17.	नीरू हास्पिटल	श्री डा.के.सी. सिंह	स्टेशन रोड सुलतानपुर	
18.	स्नबीम आई हास्पिटल	श्री संजय सिंह	निकट बस स्टेशन सुलतानपुर	9838949860
19.	आशीर्वाद चिकित्सालय	डा. श्रीमती नीलिम भटनागर	1631, सिविल लाइन नम्बर 1 बढ़ैयावीर रोड सुलतानपुर	05362–240632
20.	आशादीप हास्पिटलज	श्री शशिभूषण शुल्क	बरौंसा, सुलतानपुर	9936505361
21.	आभा हास्पिटल	श्रीमती आभा सिह	सिरवारा रोड इन्फून्ट ऑफ सरस्वती शिशु मन्दिर सिरवारा रोड, सुलतानपुर	9696025613
22.	अदिति मैटरनिटी नर्सिंग होम	श्री डा. सरोज दूबे	1285, बढ़ैयावीर रोड सिविल लाइन सुलतानपुर	9453023650
23.	करूणाश्रय हास्पिटल	डा. श्रीमती अर्चना प्रशासक	कलेक्ट्रेट के सामने सुलतानपुर	9454047607
24.	शरण नसिंग होम	श्री डा. एम0 शरण	प्राईवेट लिमिटेड, इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर	9415156027
25.	नवजीत हास्पिटल	श्री डा. रमेश कुमार ओझा	इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर	05362–227112
26.	आस्था हास्पिटल	श्रीमती मंजुला त्रिपाठी	रिसर्च सेन्टर पांचापीरन फैजाबाद रोड़ सुलतानपुर	9415046034
27.	शिफा नर्सिंग होम	मो0 जामिन खाँ	बहादुरपुर रोड गभाड़िया सुलतानपुर	9452705900
28.	सिटी नर्सिंग होम	श्री डा. आफताब अहमद	1170, इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर	9415077346

29.	अवध नर्सिंग होम	श्री डा. इसराइल अहमद खाँ	गभाड़िया सुलतानपुर	9415077346
30.	सरदार नर्सिंग होम	श्री मकसूद अहमद	गभाड़िया, सुलतानपुर	9415046192
31.	फरीदी नर्सिंग होम	श्रीमती परवीन परीदी	इलाहाबाद रोड़, सुलतानपुर	05362–240509
32.	मिश्रा हास्पिटल	श्री डा. संजय मिश्रा	शाहगंज, सुलतानपुर	7399461402
33.	प्रकाश नर्सिंग होम	श्री रामप्रकाश सिंह	पंत स्टेडियम के पास सिविल लाइन, सुलतानपुर	9415046067
34.	स्वराज हास्पिटल	श्री डा. अखण्ड प्रताप सिंह	बस स्टेशन के निकट सिविल लाइन–1, सुलतानपुर	
35.	शहर नर्सिंग होम	श्री डा. जीमल अहमद	गभड़िया, सुलतानपुर	
36.	तुलसी हास्पिटल	श्री शीतला प्रसाद कसौंधन	1206, दरियापुर, तिराहा इलाहाबाद रोड़ सुलतानपुर	05362–241777
37.	नारायण हास्पिटल	श्री डा. सुनील कुमार मिश्रा	पयागीपुर, सुलतानपुर	9415457663
38.	गौरव हास्पिटल	श्री सत्यानारायण सिंह	इलाहाबाद रोड़, सुलतानपुर	
39.	रज्जाकी नर्सिंग होम	श्री डा. विरेन्द्र प्रताप सिंह	अखण्डनगर, रोड, सुलतानपुर	8924961213
40.	श्री रघुवीर नर्सिंग होम	श्री डा. रूप सिंह राजपूत	748/1 पी.डब्लू डी. रोड़ सुलतानपुर	
41.	इरम नर्सिंग होम	श्री डा. हामिद अली खाँ	ईदगाह प्यारेपट्टी रोड सुलतानपुर	9450712800
42.	मदर टेरेसा मेमोरियल हास्पिटल	श्री डा. रामसुमेर	ग्राम पहाड़पुर, बस्तीपुर (कामतागंज) दोस्तपुर सुलतानपुर	
43.	सकेत हास्पिटल	श्री पंकज तिवारी	चुनहा, सुलतानपुर	9794955419
44.	आर.पी.नेत्र चिकित्सालय केन्द्र	श्रीमती दयावती वर्मा	रतनपुर टेढ़ई, सुलतानपुर	9794955419
45.	फायजा हास्पिटल	श्री डा. सादिक अली	नार्मल चौराहा, तहसील	9984249000

			सदर, सुलतानपुर	
46.	क्मला हास्पिटल	श्री डा.सी.बी. शुक्लना	बरौंसा, सुलतानपुर	9450042813
47.	सुरम्या बाल चिकित्सा केन्द्र	श्रीमती नूतन सिंह	पंजाबी कालोनी खैराबाद, सुलतानपुर	05362–227414
48.	न्यू लाइफ लाइन हास्पिटल	श्री डा. आर.के सिंह	157, दरियापुर रोड़ सुलतानपुर	9415091617
49.	लाइफ लाइन हास्पिटल	डा. सुरेन्द्र प्रताप सिंह	इलाहाबाद रोड़ सुलतानपुर	9415136661
50.	सजीवनी नर्सिंग होम	श्री डा. सलित श्रीवास्तव	968, लाल डिग्गी सिविल लाइन सुलतानपुर	9415136663
51.	जीवनधारा हास्पिटल	श्रीमती सवित्री	गभाड़िया सुलतानपुर	05362–231483
52.	न्यू वंदना हास्पिटल	श्रीमती वन्दना श्रीवास्वत	वाराणसी रोड़ सुलतानपुर	9415457967
53.	स्टार हास्पिटल	श्री मो0 अख्तर	गेराबारिक गभाड़िया सुलतानपुर	
54.	संजीवन हास्पिटल	श्रीमती रश्मि गोपालपुर	कादीपुर,सुलतानुपर	9415878270
55.	सत्यम शिवम् मंगलम् हास्पिटल	श्रीमती सीमा मौर्या	कनारा रोड धनपतगंज सुलतानपुर	8756484006
56.	राम प्रताप हास्पिटल	श्री अजीत कुमार तिवारी	वलीपुर, सुलतानपुर	9721451265
57.	सिद्वार्थ हास्पिटल	श्री डा. मंगला प्रसाद	दोस्पुर रोड, सुलतानपुर	9415879220
58.	या वारिस नर्सिंग होम	श्री महबूब अली	प्यारेपट्टी रोड, सुलतानपुर	9808719606
59.	राजश्री हास्पिटल	श्री डा. तिलकराज	फैजांबाद रोड़ कूरेभार सुलतानपुर	9415063721
60.	ममता हास्पिटल	श्रीमती रजनी गुप्ता	इलाहाबाद रोड लखनऊ	9919247005
61.	ललमनि हास्पिटल	श्रीमती लालमनि सिंह	कैलाशनगर, सौरमऊ सुलतानपुर	9307714051
62.	बाबा बढ़ैयावीर चिल्ड्रेन हास्पिटल	श्री डा. अखिलानन्द सिंह	बढ़ैयावीर सिविल लाइन सुलतानपुर	8765199577
63.	नवाज हास्पिटल	श्री अल्लाह नेवाज	कृष्णानगर, सुलतानपुर	9307714051

64.	गिरिजा आशीर्वाद हेल्थ केयर	श्री स्वागत पाण्डेय	हनुमानगंज बाजार सुलतानपुर	7800453573
65.	बी0पी0 हास्पिटल	श्री डा.बी.पी. सिंह	मुड़िलाडीह कादीपुर, सुलतानपुर	9450712920

अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र0	पदनाम	दूरभाष नम्बर		
		कार्यालय	शासन से प्राप्त सी0यू0जी नम्बर	आवास
1.	जिलाधिकारी	240206	9454417542	240203
2.	पुलिस अधीक्षक	240206	9454400310	240302
3.	मुख्य विकास अधिकारी	204201	9454416195	240205
4.	मुख्य चिकित्साधिकारी	240545	9935943170	240299
5.	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	240898	9454416176	240207
6.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	240751	9454417613	240299
7.	अपर जिलाधिकारी (भ–राजस्व)	223029	9454416177	
8.	उप संचालक चकबन्दी	221852		223731
9.	अपर पुलिस अधीक्षक	240001	9454401120	223080
10.	नगर मजिस्ट्रेट	240206	9454416178	240703
11.	उप जिलाधिकारी सदर	226166	9454416180	240393
12.	उप जिलाधिकारी कादीपुर	05364.232521	9454416181	232530
13.	उप जिलाधिकारी लम्भुआ	05364257062	9454416185	
14.	उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर	258275	9454416186	
15.	बन्दोबस्त अधिकारी जयसिंहपुर	240297		
16.	जिला विकास अधिकारी	240201	9454465344	
17.	परियोजना निदेशक	240432	9454465343	
18.	लहसीलदार सदर	240243	9454465343	
19.	लहसीलदार कादीपुर	05364.232521	9454416188	
20.	लहसीलदार लम्भुआ	05364.277276	9454416192	
21.	लहसीलदार जयसिंहपुर	258275	9454416193	
22.	क्षेत्राधिकारी लम्भुआ	240301	9454401403	227563
23.	क्षेत्राधिकारी नगर	240301	9454401402	221217
24.	क्षेत्राधिकारी कादीपुर	05364.232537	9454401404	
25.	क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर		9454401930	
26.	प्रभारी निरीक्षक नगर	240304	9454044342	
27.	प्रभारी निरीक्षक कादीपुर	05364232523	9454404339	
28.	थानाध्यक्ष अखण्डनगर	05364.249015	9454404326	
29.	थानाध्यक्ष दोस्तपुर	05364.242535	9454404332	
30.	थानाध्यक्ष धम्मौर	05362255378	9454404331	

31.	थानाध्यक्ष गोसाईगंज	05362.285132	9454404334	
32.	थानाध्यक्ष जयसिंहपुर	05362.258221	9454404337	
33.	थानाध्यक्ष हलियापुर	05361.285068	9454404335	
34.	थानाध्यक्ष कूरेभार	05362.266237	9454404345	
35.	थानाध्यक्ष कुड़वार	05362.284555	9454404344	
36.	थानाध्यक्ष करौंदीकला	05364266252	9454404341	
37.	थानाध्यक्ष कोतवाली देहात	05362.256272	9454404343	
38.	थानाध्यक्ष लम्भुआ	05364.257224	9454404346	
39.	थानाध्यक्ष मोतिगरपुर	05364.267409	9454404347	
40.	थानाध्यक्ष बल्दीराय	05361.242104	9454404328	
41.	थानाध्यक्ष चाँदा	05364.255203	9454404330	
42.	थानाध्यक्ष महिला		9454404771	
43.	वरिष्ठ कोषधिकारी	240621	9415877663	
44.	जिला पूर्ति अधिकारी	227505	9452807940	
45.	जिला सूचना अधिकारी	240796	9453005408	
46.	अग्निशमन	101		
47.	परियोजना निदेशक	240432	9454465343	
48.	अधि0भि0 न0पा0परि0	240226	9935134930	240430
49.	अध्यक्ष जिला पंचायत	223119		240225
50.	उप निदेशक कृषि		9415209778	240252
51.	अधि0अभि0प्रा0ख0लो0नि0वि0	240227	8808295625	240268
52.	अधि0अभि0उ0प्र0 जल निगम	240437	9473942716	
53.	अधि0अभि0 विद्युत वितरण खण्ड	240338	9415901570	
54.	विद्युत शिकायत कक्ष नगर		9415901582	
55.	अधि0अभि0 सिंचाई खण्ड	240328	9415283883	240232
56.	अधि0 अभि0 सिंचाई खण्ड–16 सम0अधि0 (बाढ़)	240387	9984659555	
57.	जिला समाज कल्याण अधिकरी	224309	9450050449	
58.	अधि0अभि0नलकूप खण्ड–2	228604	9454415430	240396
59.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी		9454465345	
60.	खण्ड विकास अधिकारी बल्दीराय		9454465345	
61.	खण्ड विकास अधिकारी धनपतगंज		9454465346	
62.	खण्ड विकास अधिकारी कूरेभार		9454465347	
63.	खण्ड विकास अधिकारी कुड़वार		9454465348	

64.	खण्ड विकास अधिकारी भदैंया		9454465349	
65.	खण्ड विकास अधिकारी जयसिंहपुर		9454465350	
66.	खण्ड विकास अधिकारी दूबेपुर		9454465351	
67.	खण्ड विकास अधिकारी लम्भुआ		9454465352	
68.	खण्ड विकास अधिकारी पी.पी.कमैचा		9454465353	
69.	खण्ड विकास अधिकारी दोस्तपुर		9454465354	
70.	खण्ड विकास अधिकारी कादीपुर		9454465355	
71.	खण्ड विकास अधिकारी मोतिगरपुर		9454465356	
72.	खण्ड विकास अधिकारी अखण्डनगर		9454465357	
73.	खण्ड विकास अधिकारी करौंदीकला		9839873303	

मानचित्र जनपद सुलतानपुर

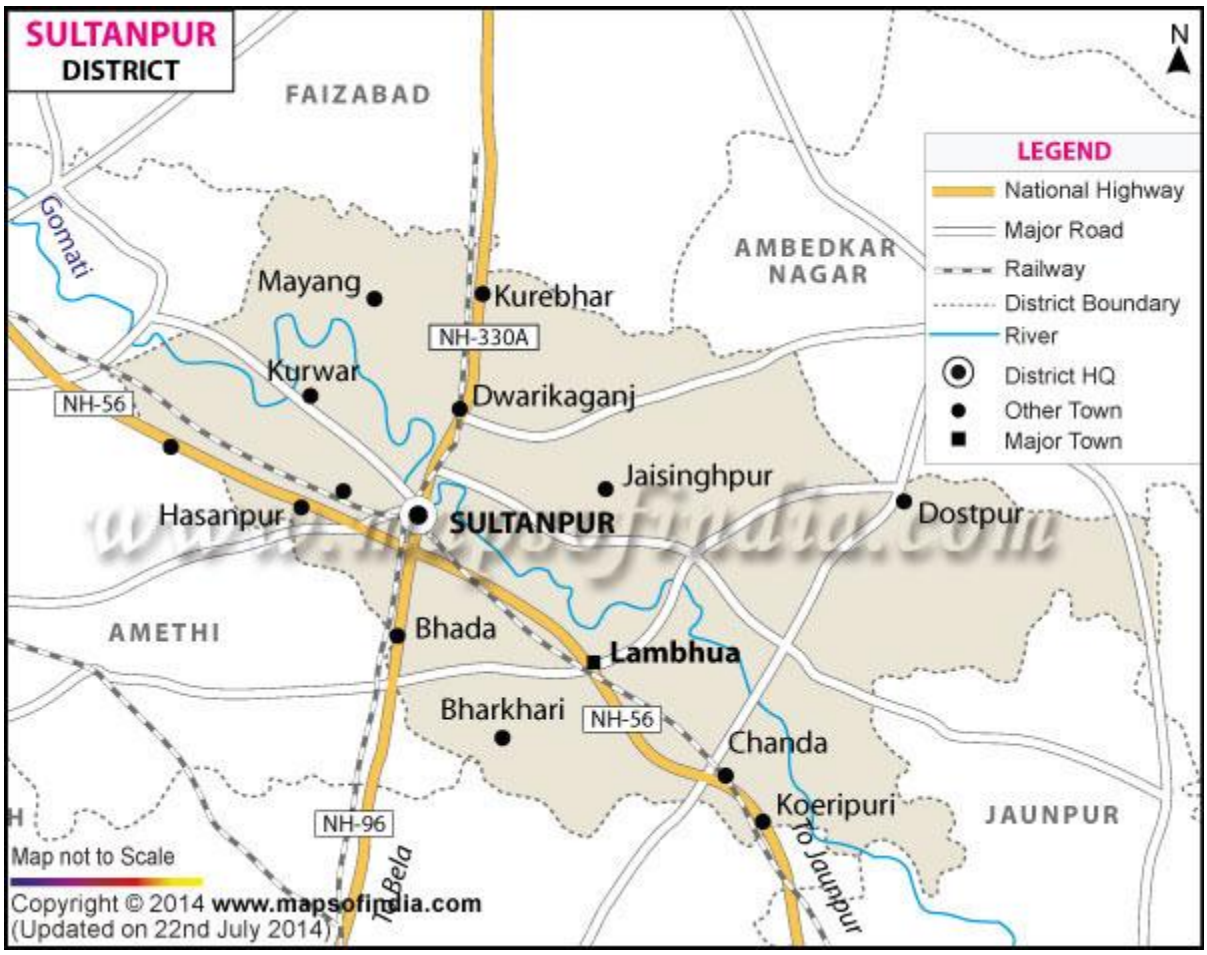

मानचित्र नगर क्षेत्र सुलतानपुर